रजिस्ट्री सं. डीएल—33001/2001 REGISTERED No. DL—33001/2001

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 3, 2001 (फाल्गुन 12, 1922)
No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 3, 2001 (PHALGUNA 12, 1922)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]
[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
केन्द्रीय कार्यालय, कार्मिक (विधि) विभाग, 17वां माला,
चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट,
मुंबई-400 021, दिनांक 5 फरवरी 2001

सं.के.का/कार्मिक/लीगल/विविध/3513/एसएके/2000-01--बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इन विनियमों को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) संशोधन विनियम, 2001 कहा जा सकेगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976 में, विनियम 6 में उप-विनियम (2) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :

(2) जब कभी अनुशासनिक प्राधिकारी की राय हो कि किसी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ दुराचरण या कदाचार के किसी अभ्यारोपण की सत्यता की जांच करने के लिए आधार है, तो वह स्वयं उसकी सत्यता की जांच कर सकेगा या किसी अन्य व्यक्ति, जो लोकसेवक है या रहा हो (जिसे इसमें इसके पश्चात् जांच प्राधिकारी कहा गया है) को उसकी सत्यता की जांच करने के लिए नियुक्त कर सकेगा।

स्पष्टीकरण : जब अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जांच करता है तो उप-विनियम (8) से लेकर उप-विनियम (21) तक में जांच प्राधिकारी के प्रति किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह अनुशासनिक प्राधिकारी के प्रति निर्देश है।

श्री एस. के. गुप्ता
महाप्रबंधक (कार्मिक)
केन्द्रीय कार्यालय

विजया बैंक

प्रधान कार्यालय

बैंगलूर, दिनांक 16 फरवरी 2001

सं. पीईआर/आईआरडी/503/2001. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980(1980 का 40) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, विजया बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से, विजया बैंक अधिकारी कर्मचारी(आचरण) विनियम, 1981 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा नीचे उल्लिखित विनियम बनाता है अर्थात्;

1. (1) इन विनियमों को विजया बैंक अधिकारी कर्मचारी(आचरण) संशोधन विनियम, 2000 कहा जाए।

2. विजया बैंक अधिकारी कर्मचारी(आचरण) विनियम, 1981 में

(i) विनियम 3 के उप नियम (1) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए नामत:

" प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी बैंक के हितों को सुनिश्चित करने एवं उनकी रक्षा करने के लिए सदैव सभी संभव उपाय करेगा तथा अपना कार्य पूरी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निष्ठा एवं तत्परता से करेगा तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो एक अधिकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय हो "

(ii) विनियम 3 के उप नियम (3) के बाद निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाएगा नामत:

" बशर्ते कि, जहां ऐसे निवेश मौखिक रूप से किए जाएं, इन निवेशों की पुष्टि उसके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लिखित रूप में की जाएगी "

(iii) विनियम 6 के उप विनियम (I) में विद्यमान उपबंध के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:

" किंतु ऐसी मंजूरी के बिना कोई अधिकारी कर्मचारी, सामाजिक या धर्मार्थ, अवैतनिक कार्य या साहित्य, कला, वैज्ञानिक कार्य या साहित्य, कला वैज्ञानिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक या सामाजिक प्रकार के प्रासंगिक कार्य कर सकता है, बशर्ते कि उससे उसकी कार्यालय ड्यूटियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े. लेकिन यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके लिए कारण बताते हुए ऐसा न किए जाने का अनुदेश दिया जाता है तो वह ऐसा कार्य नहीं करेगा या जारी नहीं रखेगा ".

(iv) विनियम 6 के उप विनियम (4) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा नामत:

" (4) सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना कोई अधिकारी कर्मचारी किसी सार्वजनिक निकाय या किसी प्राइवेट व्यक्ति के लिए अपने द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए शुल्क, पारिश्रमिक, मानदेय एवं ऐसे किसी रूप में नकद अथवा इस प्रकार का कोई भुगतान स्वीकार नहीं करेगा " .

(बी. श्रीधर शेट्टी)
महा प्रबंधक (कार्मिक)

इलाहाबाद बैंक
प्रधान कार्यालय
2, एन. एस. रोड,

कलकत्ता - 700 001 दिनांक : 14/02/2001

सं0 इ.का./विधि/1241 बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इलाहाबाद बैंक का निदेशक मण्डल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से तथा केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से इलाहाबाद बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1976 में संशोधन करने के लिए, एतद्द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है नामतः

1. (i) इन विनियमों को इलाहाबाद बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2001 कहा जा सकेगा ।

(ii) ये विनियम राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से प्रभाव होंगे ।

2. इलाहाबाद बैंक के अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1976

(i) विनियम 3 के उप नियम (1) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, नामत :-

"प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी बैंक के हितों को सुनिश्चित करने एवं उनकी रक्षा करने के लिए सदैव सभी संभव उपाय करेगा तथा अपना कार्य पूरी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निष्ठा एवं तत्परता से करेगा तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो एक अधिकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय हो ।

(ii) विनियम 3 के उप नियम (3) के बाद निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाएगा, नामतः :-

"बशर्ते कि, जहां ऐसे निदेश मौखिक रूप से दिए जाएं, इन निदेशों की पुष्टि उसके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लिखित रूप में की जाएगी । "

(iii) विनियम 6 के उप-विनियम (1) में विद्यमान उपबंध के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा नामत :-

रविन्द्र लाल बत्रा

"किन्तु ऐसी मंजूरी के बिना कोई अधिकारी कर्मचारी, सामाजिक या धर्मार्थ, अवैतनिक कार्य या साहित्य, कला, वैज्ञानिक कार्य या साहित्य, कला, वैज्ञानिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक या सामाजिक प्रकार के प्रासंगिक कार्य कर सकता है, बशर्ते कि उससे उसकी कार्यालय ड्यूटियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े । लेकिन यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके लिए कारण बताते हुए ऐसा न किए जाने का अनुदेश दिया जाता है तो वह ऐसा कार्य नहीं करेगा या जारी नहीं रखेगा।"

(iv) विनियम 6 के उप विनियम (4) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत :-

"(4) सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना कोई अधिकारी कर्मचारी किसी सार्वजनिक निकाय या किसी प्राइवेट व्यक्ति के लिए अपने द्वारा किए गये किसी कार्य के लिए शुल्क, पारिश्रमिक, मानदेय एवं ऐसे किसी रूप में नकद अथवा इस प्रकार का कोई भुगतान स्वीकार नहीं करेगा । "

रविन्द्र लाल बत्ता

(आर. एल. बत्ता)
सहायक महाप्रबंधक [विधि]

पाद टिप्पणी : उपर्युक्त विनियमों में पहले किए गए संशोधन नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे :-

अधिसूचना सं०	दिनांक
सीमत/1/88	25/04/88
सीमत/1/90	20/01/90
प्र.का./सीमत/333/1137	28/12/92
प्र.का./सीमत/0814	28/09/93
प्र.का./सीमत/0926	14/10/2000

केनरा बैंक सामान्य विनियमावली, 1999

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केनरा बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करके तथा केन्द्र सरकार की पूर्व-स्वीकृति के साथ निम्नांकित विनियम बनाता है :

अध्याय - I

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ -

   i) इन विनियमों को केनरा बैंक सामान्य विनियमावली 1999 कहा जाए ।

   ii) यह विनियमावली, शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।

2. परिभाषाएँ - इस विनियमावली में जब तक कि विषय अथवा प्रसंग अथवा अर्थ के प्रतिकूल न हो,

   क) "अधिनियम" से तात्पर्य है, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5वाँ);

   ख) "बैंक" से तात्पर्य है, केनरा बैंक, जो अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित है ।

   ग) "बोर्ड" से तात्पर्य है, अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित निदेशक मंडल।

   घ) "अध्यक्ष से तात्पर्य है, बोर्ड का अध्यक्ष।

   ङ.) "समिति " से तात्पर्य है, बोर्ड द्वारा गठित समिति ।

(ज) "कार्यपालक निदेशक" से तात्पर्य है, पूर्णकालिक निदेशक, जो प्रबंध निदेशक न हो

(झ) "गृह प्रबंधक" से तात्पर्य है, बैंक का गृह प्रबंधक।

(ञ) "प्रबंधन समिति" से तात्पर्य है, योजना के खण्डखंड 13 के अधीन गठित एक समिति ।

(ट) "प्रबंध निदेशक" से तात्पर्य है, बैंक का प्रबंध निदेशक ।

(ठ) "रजिस्टर" से तात्पर्य है, अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2जी) के अधीन बैंक की एक या अनेक बहियों में रखा शेयरधारकों का रजिस्टर, जिसमें कंप्यूटर फ्लॉपी या डिस्केट में रखा शेयरधारकों का रजिस्टर भी शामिल है ।

(ड) "रजिस्ट्रार" से तात्पर्य है, निम्न प्रयोजनों के लिए बैंक द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति -

i) एक इश्यू के संबंध में निवेशकों से आवेदन प्राप्त करना

ii) निवेशकों से प्राप्त आवेदनों और धनराशियों का अथवा प्रतिभूतियों के विक्रेताओं को अदा की गई धनराशियों का समुचित रिकार्ड रखना,

iii) निम्नलिखित कार्यों में बैंक की मदद करना -

(क) स्टॉक एक्सचेंज से परामर्श करके प्रतिभूतियों के आवंटन का आधार निर्धारित करना,

(ख) प्रतिभूतियों के आवंटन के लिए पात्र व्यक्तियों की सूची को अंतिम रूप देना,

(ग) इश्यू से संबंधित आवंटन पत्रों, भाषणी आदेशों या प्रमाणपत्रों और अन्य संबंधित दस्तावेजों का प्रोसेसिंग और प्रेषण करना, और

iv) बैंक द्वारा समय समय पर सौंपे जानेवाले ऐसे अन्य कार्य

(ढ) "योजना" से तात्पर्य है, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 ।

(ण) "शेयर" से तात्पर्य है, बैंक की शेयर पूँजी में हिस्सेदारी ।

खंड II

शेयर तथा शेयर का रजिस्टर

3) शेयरों की प्रकृति : केनरा बैंक के शेयर चल संपत्ति होगी, जो इन विनियमों के तहत प्रावधानित तरीके से अंतरणीय होगी ।

4) शेयर पूँजी के प्रकार :

(i) अधिमानी शेयर पूँजी का मतलब है, शेयर पूँजी का केनरा बैंक का वह भाग, जो निम्नांकित दोनों शर्तों को पूरा करता है :-

(क) लाभांश के मामले में, वह निश्चित राशि या निर्धारित दर पर परिकलन राशि, के भुगतान के अधिमानी अधिकार का पात्र है जो या तो आयकर से मुक्त होगी या आय कर योग्य होगी ।

(ख) पूँजी के मामले में, पूँजी की चुकौती के लिए समापन पर, प्रदत्त या प्रदत्त समझी जानेवाली पूँजी की राशि की चुकौती का अधिमानी अधिकार उसके साथ रहता है, भले ही निम्नांकित में से एक या दोनों राशियों के भुगतान के अधिकार के लिए अधिमानी अधिकार हो या न हो, जो राशि निम्नवत है -

(अ) खंड (क) में निर्धारित समापन की तिथि या पूँजी की चुकौती की तिथि तक चुकौती न की गई कोई भी राशि, तथा

(आ) केंद्र सरकार की पूर्व सहमति से बोर्ड द्वारा निर्धारित कोई भी निर्धारित प्रीमियम या किसी निश्चित स्केल पर प्रीमियम ।

(ii) "ईक्विटी शेयरपूँजी" वह सभी शेयर पूँजी है, जो अधिमानी शेयर पूँजी नहीं है ।

(iii) "अधिमानी शेयर" तथा "ईक्विटी शेयर" इन अभिव्यक्तियों का तदनुसार अर्थ लिया जाए ।

5) रजिस्टर में प्रविष्टि योग्य ब्यौरा

(i) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 2(एफ) के अनुसार शेयर रजिस्टर को रखना, अनुरक्षण करना तथा अद्यतन करना चाहिए ।

(ii) अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (एफ) में निर्धारित विवरण के अतिरिक्त, बोर्ड द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य विवरण की भी प्रविष्टि रजिस्टर में की जाए ।

(iii) किसी भी शेयर के संयुक्त धारक के मामले में उप विनियम (i) में अपेक्षित उनके नाम तथा अन्य विवरण को, ऐसे संयुक्त धारकों के पहले नाम के तहत समूहीकृत किया जाए ।

(iv) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 2 (एफ) के उपबंधों के अधीन, भारत से बाहर आवास करनेवाले शेयरधारक द्वारा भारत में उसके पते की सूचना बैंक को दी जाये तथा ऐसे पते की प्रविष्टि रजिस्टर में की जाए तथा इस अधिनियम एवं उन विनियमों के प्रमाणन हेतु इस पते को उसका पंजीकृत पता माना जाएगा ।

(v) किसी भी ट्रस्ट की किसी भी नोटिस, चाहे व्यक्त हो, निहित या रचनात्मक, की प्रविष्टि रजिस्टर में न की जाये या वह बैंक को प्राप्य नहीं होनी चाहिए ।

6) शेयर तथा रजिस्टरों पर नियंत्रण - इस अधिनियम तथा उन नियमों के प्रावधानों तथा समय समय पर बोर्ड द्वारा जारी किए जानेवाले निर्देशों के तहत, ऐसा रजिस्टर केनरा बैंक के प्रधान कार्यालय में रखा जाए तथा उसका रख-रखाव किया जाना चाहिए तथा वह बोर्ड के नियंत्रण में रखा जाए और कोई व्यक्ति शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किए जाने का हकदार है या नहीं उसके बारे में बोर्ड का निर्णय अंतिम निर्णय होगा ।

7) ऐसी पार्टियाँ जिन्हें शेयरधारक के रूप में पंजीकृत नहीं किया जाना चाहिए -

i) इन विनियमों के तहत अन्यथा प्रावधान न होने की स्थिति में, जो व्यक्ति संविदा के लिए सक्षम नहीं है, वे शेयरधारक के रूप में पंजीकृत होने के हकदार नहीं हैं तथा इस संबंध में बोर्ड का निर्णय निर्णायक एवं अंतिम होगा ।

ii) फर्मों के मामले में, व्यक्तिगत साझेदारों के नाम पर शेयरों का पंजीकरण किया जाएगा तथा कोई भी फर्म शेयरधारक के रूप में पंजीकृत नहीं की जाएगी ।

8) कंप्यूटर सिस्टम पर शेयर रजिस्टरों का रख-रखाव, आदि -

i) इस अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 2(एफ) के साथ पठित विनियम 5 में उल्लिखित अनुसार शेयर रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए अपेक्षित विवरण, अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 2(जी) के तहत, प्रधान कार्यालय में रखे गए कंप्यूटरों पर डिस्केटस्, फ्लॉपीज़, केट्रिजिस या अन्य के द्वारा मैग्नेटिक / ऑप्टिक / मैग्नेटो - ऑप्टिकल मीडिया (जिसे इसके पश्चात मीडिया कहा जाएगा) के माध्यम में रखे गए डाटा के रूप में रखी जाए तथा बैक अप ऐसी अवस्थिति में रखा जाए जैसा कि अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक द्वारा या इस हेतु अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक द्वारा नामित ऐसे अधिकारी जो न्यूनतम महा प्रबंधक के पद का (जिसे एतद्पश्चात् 'नामित अधिकारी' कहा जाएगा) होना चाहिए, द्वारा निर्णय लिया जाता है ।

(ii) अधिनियम की धारा 3 (बी) के साथ पठित डिपॉज़िटरीज़ अधिनियम 1996 की धारा 11 के तहत शेयर रजिस्टर में अपेक्षित प्रविष्टि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसमें विनिर्दिष्ट रूप में तथा प्रकार से की जाएगी ।

9. कंप्यूटर सिस्टम के लिए सुरक्षोपाय

i) विनियम 8(i) में वर्णित अनुसार, जिसमें डाटा रखा गया है उस सिस्टम तक, पहुँच, जिसमें निर्गम के रजिस्ट्रार तथा / या इस हेतु अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक नामित अधिकारी द्वारा प्राधिकृत शेयर अंतरणकर्ता एजेंट तथा यदि कोई पासवर्ड हो तो, तक सीमित होगी तथा इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा नियंत्रण पद्धति कथित व्यक्तियों की अभिरक्षा में रखी जाए ।

ii) प्राधिकृत व्यक्तियों के कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश को कंप्यूटर सिस्टम द्वारा लॉग्स में प्रविष्ट किया जाए तथा ऐसे लाग्स को अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक द्वारा इस प्रयोजन हेतु नामित अधिकारियों / व्यक्तियों या नामित अधिकारियों द्वारा सुरक्षित रखा जाए ।

iii) बैक अप की प्रतियां, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक द्वारा नामित अधिकारियों द्वारा समय समय पर निर्धारित अंतराल रिमूवेबल मीडिया पर ली जाए, जिसमें शेयरधारक रजिस्टर में किए गए परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाए । कम से कम एक प्रति ऐसे स्थान पर परिरक्षित की जाए जिसमें प्रोसेसिंग किया जाता है । इस प्रति को ताला लगाने की व्यवस्थावाले आग से सुरक्षित वातावरण में तथा आवश्यक तापमान में रखा जाए । दोनों स्थानों पर बैक-अप के प्रति प्रवेश केवल उन व्यक्तियों तक सीमित हो जिन्हें अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक द्वारा या नामित अधिकारियों द्वारा इस हेतु प्राधिकृत किया गया है । इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रवेश / पहुँच उस स्थान पर रखे गए हस्तलिखित रजिस्टर में रिकार्ड किया जाए ।

iv) प्राधिकृत व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि बैक अप की यथा तथ्यता सुनिश्चित करने हेतु उचित सॉफ्टवेयर की सहायता से बैक अप के डाटा की, कंप्यूटर पर रहनेवाले डाटा के साथ तुलना करें । इस क्रियाविधि के परिणाम को इस हेतु रखे गए रजिस्टर में रिकार्ड किया जाए ।

v) प्रौद्योगिकी उन्नति को तथा / या स्थिति की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए शेयरधारकों के रजिस्टरों के कंप्यूटर सिस्टम में रख-रखाव में आवश्यक सुरक्षोपायों के मामले में अनुदेशों, शर्तों में विशेष या सामान्य आदेशों के जरिए जोडने तथा आशोधन करने का अधिकार अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को होगा ।

10) संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग - कोई शेयर दो या उससे अधिक व्यक्तियों के नाम पर होने की स्थिति में, रजिस्टर में पहले जिसका नाम दर्ज है वह व्यक्ति मताधिकार, लाभांश प्राप्त करना, नोटिस भेजना तथा केनरा बैंक से संबंधित अन्य कोई एक या सभी मामलों में, जिसमें शेयर का अंतरण सम्मिलित नहीं है, के लिए शेयर का एकमात्र स्वामी माना जाएगा ।

11) रजिस्टर का निरीक्षण

(i) विनियम 12 के अधीन जब वह बंद रहता है, उस स्थिति को छोड़कर रजिस्टर किसी भी शेयरधारक द्वारा निरीक्षण के लिए बिना किसी भी शेयरधारक द्वारा निरीक्षण के लिए बिना किसी प्रभार के कारोबार समय में वह जहाँ पर रखा जाता है उस स्थान पर बोर्ड द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन खुला रहेगा, परंतु किसी भी कार्य दिवस में दो घंटों से कम समय अनुमत नहीं होगा ।

(ii) रजिस्टर में रहनेवाली किसी भी प्रविष्टि का कोई भी शेयरधारक उद्धरण ले सकता है या निःशुल्क कंप्यूटर प्रिंट-आउट ले सकता है या यदि वह रजिस्टर का या उसके किसी अंश का प्रिंट-आउट चाहता हो तो प्रत्येक सौ शब्दों को या उसके किसी खंडित भाग को कॉपी करने के लिए रु.5/-की दर पर उसके द्वारा पूर्व भुगतान किए जाने पर ऐसे प्रिंट-आउट की आपूर्ति उसे की जाएगी ।

(iii) उप विनियम (ii) में निहित अन्य किसी बात के होते हुए, सरकार द्वारा विधिवत रूप से अधिकृत किसी भी अधिकारी को रजिस्टर की किसी भी प्रविष्टि की कॉपी बनाने का या रजिस्टर की किसी भी प्रविष्टि की कॉपी बनाने या रजिस्टर की या किसी भी अंश की उसे आपूर्ति करने का अधिकार होगा ।

12. रजिस्टर बंद करना

भारत में परिचालित होनेवाले किन्हीं दो समाचार पत्रों में विज्ञापन के जरिये न्यूनतम सात दिनों की नोटिस देते हुए बैंक शेयरधारकों के रजिस्टर को ऐसी अवधि या अवधियों के लिए बंद कर सकता है जो अवधि प्रत्येक वर्ष पैंतालिस दिनों से अधिक नहीं होगी परंतु किसी एक समय वह तीस दिन से अधिक नहीं होगी जैसाकि बैंक की राय में आवश्यक समझा जाता है ।

13. शेयर प्रमाण पत्र

(i) प्रत्येक शेयर प्रमाणपत्र पर शेयर प्रमाण पत्र का नंबर, एक विशिष्ट पहचान नंबर, जिन शेयरों के संबंध में वह जारी किया गया है उन शेयरों की संख्या तथा जिस शेयरधारक को वह जारी किया गया है, उसका नाम होना चाहिए तथा वह उसी प्रारूप में होना चाहिए जैसाकि बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है ।

(ii) बोर्ड द्वारा किए गए संकल्प के अनुपालन में, प्रत्येक शेयर प्रमाण पत्र बैंक की सामान्य मुहर के तहत जारी किया जाना चाहिए तथा वह दो निदेशकों तथा बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए ।

बशर्ते कि निदेशकों के हस्ताक्षर बोर्ड के निर्देशों के अनुसार मुद्रित, उत्कीर्ण, लिथोग्राफ किए गए या ऐसे अन्य मैकेनिकल प्रक्रिया से छाप हो सकते हैं ।

(iii) इस प्रकार मुद्रित, उत्कीर्ण, लिथोग्राफ किए गए या अन्य तरह से छापे गए हस्ताक्षर उतने ही विधिमान्य होंगे जितने कि हस्ताक्षरकर्ता की अपनी लिखावट में किए गए हस्ताक्षर वैध होंगे ।

(iv) कोई भी शेयर प्रमाण पत्र तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि उस पर इस तरह हस्ताक्षर नहीं होते । इस प्रकार हस्ताक्षरित शेयर प्रमाण पत्र वैध तथा बंधनकारी होगा, इस तथ्य से निरपेक्ष कि इसे जारी करने से पहले, इस पर जिस व्यक्ति के हस्ताक्षर अंकित हैं, वह व्यक्ति बैंक द्वारा हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के रूप में न रहा हो ।

(v) इस प्रकार तैयार किए गए शेयर प्रमाण पत्र पर उपरोक्त उप खंड (ii) में उल्लिखित अनुसार यदि प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर हो, परंतु जो प्रमाण पत्र जारी करने के समय मृत हो, बैंक अपने द्वारा सर्वाधिक उत्तम समझे जानेवाले तरीके से प्रमाणपत्र पर ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर रद्द कर सकता है तथा अन्य किसी प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर अंकित करवा सकता है । उस प्रकार जारी किया गया शेयर प्रमाण पत्र वैध होगा ।

14. शेयर प्रमाण पत्र जारी करना :

(i) किसी भी शेयरधारक को शेयर प्रमाण पत्र जारी करते समय बोर्ड इस बात के लिए सक्षम होगा कि किसी एक समय में उसके नाम पर पंजीकृत प्रति सौ या उसके गुणन में जारी शेयरों के लिए एक प्रमाण पत्र के आधार पर प्रमाण पत्र जारी करें तथा उससे अधिक संख्या में परंतु जो सौ से कम शेयरों के लिए एक अतिरिक्त प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा ।

(iii) अनेक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारित शेयर या शेयरों के मामले में, एक से अधिक प्रमाणपत्र जारी करने के लिए बैंक बाध्य नहीं होगा, तथा अनेक संयुक्त धारकों में से किसी एक व्यक्ति को उसकी सुपुर्दगी ऐसे सभी व्यक्तियों को पर्याप्त सुपुर्दगी होगी ।

5) शेयर प्रमाणपत्र का नवीकरण :

(i) यदि कोई प्रमाणपत्र जीर्ण या विकृत अवस्था में हो उसके प्रस्तुतीकरण पर, बोर्ड या उसके द्वारा नामित समिति उसे रद्द करने तथा उसके स्थान पर नया प्रमाण पत्र जारी का आदेश दे सकता है ।

(ii) यदि कोई प्रमाणपत्र खो गया या विनष्ट हो गया हो, तो बोर्ड या उसके द्वारा नामित समिति जामिन सहित या रहित, बोर्ड या उसके द्वारा नामित समिति द्वारा जो भी उचित पाया जाए, अतिपूर्ति पर या दो समाचार पत्रों में प्रकाशन पर तथा केनरा बैंक को उसकी लागत प्रभार तथा व्यय का भुगतान किए जाने पर ऐसे गुम हुए या विनष्ट प्रमाण पत्र के स्थान पर हकदार व्यक्ति को डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी कर सकता है ।

16. शेयरों का समेकन तथा उप-विभाजन :

शेयरधारक (धारकों) द्वारा लिखित आवेदन दिए जाने पर, बोर्ड या उसके द्वारा नामित समिति, समेकन / उप विभाजित करेगी तथा उसके उससे संबंधित प्रासंगिक खर्च, प्रभार एवं व्यय का केनरा बैंक को भुगतान किया जाने पर उसके स्थान पर नये शेयर प्रमाणपत्र (पत्रों) को जारी करेगा ।

17. शेयरों का अंतरण :

(i) बैंक के शेयरों का प्रत्येक अंतरण एतद् संलग्न अंतरण लिखत फॉर्म "ए" में या बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमोदित ऐसे अन्य तरीके से किया जाएगा तथा दिनांकित हो तथा निष्पादक तथा दिनांक की मुहर लगायी जाए तथा अंतरणकर्ता द्वारा तथा उसके लिए उसे संबद्ध शेयर प्रमाणपत्रों के साथ उसे विधिवत रूप से स्टैंप किया जाये, दिनांक डाला जाए तथा निष्पादित किया जाए ।

(ii) अंतरण लिखत शेयर प्रमाणपत्र के साथ बैंक के प्रधान कार्यालय में प्रस्तुत किया जाए तथा अंतरणकर्ता को ही ऐसे शेयरों का तब तक स्वामी माना जाएगा जब तक कि इस संबंध में शेयर रजिस्टर में अंतरिती के नाम की प्रविष्टि नहीं की जाती ।

(iii) अंतरण के पंजीकरण के अनुरोध के साथ शेयर प्रमाणपत्र के साथ अंतरण लिखत बैंक को प्राप्त होने के बाद बोर्ड तथा उसके द्वारा नामित समिति द्वारा शेयर प्रमाणपत्र के साथ अंतरण लिखत को रजिस्ट्रार तथा / या शेयर अंतरण एजेंट के पास इस बात के सत्यापन हेतु भेजा जाए कि तकनीकी आवश्यकताएं अपने समग्र रूप में पूरी की गई है । रजिस्ट्रार तथा / या शेयर अंतरण एजेंट शेयर प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो उसके साथ अंतरण लिखत, अंतरिती को पुनः प्रस्तुतीकरण हेतु भेजे, जिसके लिए निम्नवत् अपवाद हैं -

(अ) अंतरण लिखत को विधिवत रूप से स्टांप लगाकर तथा उचित रूप से निष्पादित करते हुए पंजीकरण हेतु बैंक को प्रस्तुत किया जाता है तथा जिन शेयरों से वह संबंधित है, वह प्रमाण पत्र या बोर्ड द्वारा संघन्नकर्ता के द्वारा ऐसे अंतरण का स्वाधिकार दर्शाने हेतु आवश्यक समझा जानेवाला ऐसा कोई आवश्यक प्रमाण संलग्न हो ।

(आ) अंतरण लिखत के अंतर्गत आनेवाले शेयरों के मामले में शेयरधारक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अंतरिती पात्र है इस बात से रजिस्ट्रार संतुष्ट हो ।

(iv) बोर्ड या बोर्ड द्वारा नामित समिति द्वारा जब विनियम 19 के अंतर्गत जब तक एतद्पश्चात् शेयरों के पंजीकरण से इन्कार नहीं किया जाता, शेयरों का पंजीकरण करवाया जाए ।

18. अंतरण को निलंबित करने का अधिकार :- बोर्ड या बोर्ड द्वारा नामित समिति द्वारा ऐसी अवधि में किसी भी शेयर का पंजीकरण न करवाया जाए जब रजिस्टर बंद रहता है ।

19. शेयरों के अंतरण को पंजीकृत करने से नकारने का बोर्ड का अधिकार :

(i) बोर्ड द्वारा निम्नांकित में से किसी एक या अनेक कारणों अंतरिति के नाम पर किन्हीं भी शेयरों के अंतरण को नकारा जा सकता है, तथा अन्य किसी भी कारण से वह इसे नकार नहीं सकता ।

(अ) शेयरों का अंतरण, अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए विनियमों या अन्य किसी कानून के उल्लंघन में हो या ऐसे अंतरण के पंजीकरण से संबंधित कानून की अन्य आवश्यकता का उल्लंघन किया हो।

(आ) शेयरों का अंतरण, बोर्ड की राय में बैंक के या सार्वजनिक हित के लिए जोखिम पूर्ण हो।

(इ) न्यायालय, न्यायाधिकरण के आदेश या उस समय प्रभावी किसी भी कानून के तहत शेयरों का अंतरण पर रोक लगा दी गई हो ।

(ई) भारत से बाहर निवास करनेवाले किसी व्यक्ति या कंपनी या भारत में प्रभावी न रहनेवाले किसी भी कानून के तहत निगमित किसी भी कंपनी या ऐसी कंपनी की कोई भी शाखा, चाहे वह भारत के बाहर अब स्थित हो या न हो, यदि ऐसे अंतरण की अनुमति देने के परिणामस्वरूप बैंक के शेयरों का धारण या अभिग्रहण करेगी तथा कुल में ऐसे निवेश के कारण प्रदत्त पूँजी के 20% या शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के जरिये केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशतता से अधिक हो जाता हो ।

तथापि, शर्त यह है कि उपरोक्त (i) ग उप-विनियम में उल्लिखित नकारने के अधिकारों का प्रयोग इस प्रयोजन के लिये बोर्ड द्वारा नामित समिति द्वारा किया जाये ।

(ii) बैंक के शेयरों के अंतरणों की लिखत जब बोर्ड के पास ऐसे अंतरण के पंजीकरण के लिए दर्ज किए जाने के बाद बोर्ड अपनी राय निर्धारित करेगा कि क्या उपरोक्त उप-विनियम (i) में उल्लिखित किसी भी पृष्ठ भूमि पर क्या ऐसे पंजीकरण को नकारा जाना चाहिए या नहीं ।

(अ) यदि उसने यह राय बना ली हो कि ऐसे पंजीकरण से इन्कार नहीं किया जाना चाहिए, तो पंजीकरण पूरा करे तथा

(आ) यदि बोर्ड की यह राय हो कि उप-विनियम (i) में उल्लिखित किसी भी पृष्ठ भूमि पर पंजीकरण नकारना चाहिए, तो अंतरण फार्म प्राप्त करने 60 दिनों के अंदर लिखित नोटिस भेजकर अंतरणकर्ता तथा अंतरिती दोनों को सूचित किया जाए ।

20. मृत्यु, दिवालियेपन की स्थिति में शेयरों का प्रेषण :

(i) शेयर के मामले में मृत शेयरधारक के निष्पादक या प्रशासक या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग X के तहत जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र सहित या रहित वसीयत पत्र या प्रशासन पत्र का धारक या किसी वैध अभ्यावेदन का धारक या मृत एकल धारक द्वारा अपने जीवनकाल में जिस व्यक्ति के पक्ष में अंतरण की वैध लिखत को निष्पादित किया गया था वह व्यक्ति मात्र केवल ऐसा व्यक्ति होगा जिसे केनरा बैंक द्वारा यह माना जायेगा कि उस व्यक्ति उस व्यक्ति को शेयर का कोई स्वत्वाधिकार है ।

(ii) दो या उससे अधिक शेयरधारकों के नाम पर पंजीकृत शेयरों के मामले में, एक उत्तरजीवी और अनेक उत्तरजीवी तथा अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु के मामले में, उसके निष्पादक या प्रशासक या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो वसीयत पत्र या प्रशासन पत्र का धारक है जिसके साथ शेयर में उस व्यक्ति के हित के मामले तक इच्छापत्र या उत्तरजीविता प्रमाणपत्र या अन्य कोई वैध अभ्यावेदन संलग्न हो या न हो, या ऐसे व्यक्ति द्वारा या अंतिम उत्तरजीवी द्वारा अपने जीवनकाल में अंतरण की कानूनी लिखत निष्पादित की गई हो वह व्यक्ति मात्र ऐसा व्यक्ति होगा जिसे केनरा बैंक द्वारा यह माना जायेगा कि उसे ऐसे शेयर का कोई स्वत्वाधिकार है ।

(iii) केनरा बैंक द्वारा ऐसे निष्पादकों या प्रशासकों को मान्यता प्रदान करते हुए नहीं पाया जायेगा जब तक कि उनके द्वारा सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय से जैसा भी मामला हो वसीयत प्रमाणपत्र या प्रशासन पत्र या उत्तरजीविता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया जाता ।

परंतु, शर्त यह है कि जिन मामलों में बोर्ड अपने विवेकाधिकार से यह उचित पाये, वसीयत प्रमाणपत्र या प्रशासन पत्र या उत्तरजीवित प्रमाणपत्र या ऐसे ही अन्य वैध अभ्यावेदन के प्रस्तुतीकरण से बोर्ड क्षतिपूर्ति या उसके द्वारा उचित पायी गयी अन्य शर्तों पर छूट दे सकता है ।

(iv) शेयरधारक की मृत्यु के परिणामस्वरूप शेयर का हकदार बननेवाला कोई भी व्यक्ति तथा शेयरधारक की शोधन अक्षमता, दिवालियेपन या परिसमापन के परिणामस्वरूप शेयर का हकदार बननेवाला कोई भी व्यक्ति, बोर्ड की अपेक्षानुसार ऐसे साक्ष्य के प्रस्तुतीकरण के बाद, उसे निम्नांकित अधिकार होंगे -

(अ) ऐसे शेयरों के मामले में शेयरधारक के रूप में पंजीकरण कराना ;

(आ) जिस व्यक्ति से वह अधिकार प्राप्त करता है, उस व्यक्ति द्वारा ऐसे शेयर का किया अंतरण किया जाता उस प्रकार उस शेयर का अंतरण करना ।

21. शेयरधारक की पंजीकरण हेतु अर्हता समाप्त होना -

शेयरधारक के रूप में चाहे व्यक्तिगत रूप में किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किसी भी व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है कि उसके द्वारा किसी भी शेयर के मामले में पंजीकरण हेतु उसकी अर्हता समाप्त होते ही इस संबंध में निदेशक मंडल को वह सूचित करें।

22. शेयर पर मांग : निर्धारित समय पर देय न बनायी गयी शर्त पर आबंटित शेयरों के उनके द्वारा धारण के मामले में चुकाई न गई धनराशि के लिए, अपने द्वारा उचित समझे गए रूप में शेयरधारकों को समय-समय पर ऐसा बुलावा देगा, तथा ऐसे हर बुलावे पर, बोर्ड द्वारा निर्धारित समय तथा स्थल पर प्रत्येक शेयरधारक उस व्यक्ति को भुगतान करेगा । मांग किश्तों में देय होगा ।

23. मांग की तिथि संकल्प से मानी जाये - मांग उस समय की हुई माना जाएगा जब ऐसा मांग करने को प्राधिकृत करने का संकल्प बोर्ड द्वारा पारित किया जाता है तथा रजिस्टर पर ऐसी तिथि को तथा बोर्ड के विवेकाधिकार पर ऐसी किसी परवर्ती तिथि को देय माना जायेगा जिसे बोर्ड उचित समझें ।

मांग की नोटिस : भुगतान का समय निर्धारित करते हुए प्रत्येक मांग का न्यूनतम तीस दिनों की नोटिस दी जाये बशर्ते कि ऐसी मांग के भुगतान के समय से पहले बोर्ड शेयरधारकों को लिखित नोटिस देकर उसे वापस बुला सकता है ।

25. मांग के भुगतान के लिए अवधि बढ़ाना - बोर्ड अपने विवेकाधिकार से सभी या किसी भी एक शेयरधारक को, उनके आवास से दूरी का ध्यान में रखते हुए या अन्य किसी पर्याप्त कारण से किसी भी मांग के भुगतान के लिए निर्धारित समय सीमा बढ़ा सकता है, परंतु कोई भी शेयरधारक अपने अधिकार के रूप में इसका हकदार नहीं बन सकता ।

26. संयुक्त धारकों की देयतायें - शेयर के संयुक्त धारक शेयरों के मामले में सभी मांगों के भुगतान के लिए संयुक्त रूप से तथा व्यक्तिगत रूप से ज़िम्मेदार होंगे ।

27. मांग पर निर्धारित समय पर या किश्तों में देय राशि - किसी शेयर के जारी करने की शर्तों के अनुसार या अन्यथा यदि कोई राशि किसी निर्धारित समय पर या निर्धारित समय पर किश्तों में अदा की जानी हैय तो ऐसी प्रत्येक राशि या किश्त उसी तरह देय होगी मानो बोर्ड द्वारा विधिवत् रूप से मांग किया गया हो तथा जिसकी विधिवत् नोटिस दी गई और मांग के मामले में एतद् सम्मिलित सभी प्रावधान ऐसी राशि या किश्तों से तदनुसार संबंधित होंगे ।

28. मांग पर या किश्त पर ब्याज कब देय होगा - किसी मांग या किश्त के मामले में उसके भुगतान हेतु निर्धारित तिथि या उससे पहले राशि का भुगतान नहीं किया जाता, उस अस्थायी अवधि के लिए धारक या जिस शेयर के मामले में मांग किया जाना आवश्यक था जिसकी किश्त देय है उसके शेयर के आबंटिती ऐसी राशि पर बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर, उसके भुगतान हेतु नियत तिथि से लेकर उसके वास्तविक भुगतान की तिथि तक बोर्ड ब्याज का भुगतान करेगा, परंतु बोर्ड अपने स्वविवेक से ऐसे ब्याज के भुगतान से पूर्णतः या अंशतः छूट दे सकता है ।

29. शेयरधारक द्वारा मांग का भुगतान न किया जाना - कोई भी शेयरधारक कोई भी लाभांश प्राप्त करने या शेयरधारक के किसी भी अधिकार का प्रयोग करने का अधिकारी नहीं होगा जब तक कि उसके द्वारा व्यक्तिगत या अन्य किसी व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से धारित शेयर पर लगाए गए या प्रगामित, ब्याज तथा व्यय के साथ, देय तिथि से तथा देय होने पर राशि का भुगतान नहीं करता ।

30. मांग या किश्त के भुगतान न करने पर नोटिस यदि कोई शेयरधारक किसी मांग की या किसी किश्त या किसी शेयर की या तो मूलधन या ब्याज के रूप में देय राशि का उसके भुगतान हेतु नियत तिथि पर भुगतान नहीं करता, तो केनरा बैंक उसके पश्चात जिस अवधि के दौरान मांग या किश्त या उसके किसी अंश या अन्य राशि का जब तक भुगतान नहीं होता, या उसके मामले में अधिनिर्णय या डिक्री जब तक पूर्णतः/अंशतः असंतुष्ट रहती है, बैंक ऐसे शेयरधारक को या यदि व्यक्ति (कोई हो) ऐषण के द्वारा शेयर का हकदार बनता है, उसे नोटिस भेज सकता है कि मांग या किश्त या उसके ऐसे अंश का या जिसका भुगतान नहीं किया गया ऐसी साक्षी का, उस ब्याज राशि के साथ, जो प्रोद्भूत हो सकती थी, तथा ऐसे सभी व्यय (कानूनी तथा अन्य व्ययों जो ऐसे गैर-भुगतान के कारण केनरा बैंक को उठाने पड़ सकते थे, उस राशि के साथ वह व्यक्ति भुगतान करें।

31. रद्द करने की नोटिस : निरस्तीकरण नोटिस में ऐसे दिन को नियत किया जाना चाहिए जो नोटिस की तिथि से चौदह दिन से कम नहीं होना चाहिए तथा एक स्थान या अनेक स्थान नियत किए जाने चाहिए जहाँ पर ऐसी मांग या किश्त या ऐसे किसी अंश या ऐसी ही धनराशि तथा उपरोक्तानुसार ब्याज तथा व्यय का भुगतान किया जाना है । नोटिस में यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि समय पर या उससे पहले तथा नियत स्थान पर भुगतान न किए जाने की स्थिति में, जिस शेयर के मामले में मांग की गयी थी या किश्त देय है, वह रद्द कर दिया जाएगा ।

32. चूक के मामले में शेयरों को रद्द किया जाना - यदि उपरोक्तानुसार किसी ऐसी नोटिस की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया जाता तो जिन शेयरों के मामले में ऐसी नोटिस दी गयी है, वह उसके बाद गैर-भुगतान के लिए दिए गए ऐसी सभी मांग, किश्तों, ब्याज तथा व्यय तथा उस मामले में देय राशि के गैर-भुगतान के लिए, उन्हें उस हेतु किए गए बोर्ड के संकल्प द्वारा रद्द किया जा सकता है । ऐसे निरस्तीकरण में जिसत शेयरों के मामले में घोषित सभी लाभांश तथा निरस्तीकरण से पहले भुगतान न किए गए शेयरों के मामले में घोषित सभी लाभांश सम्मिलित होगा ।

33. जब्ती के रजिस्टर में प्रविष्टि - जब कभी विनियम 32 के अधीन किसी शेयर का निरस्तीकरण किया जाता है तो निरस्तीकरण की तिथि के साथ उसकी प्रविष्टि रजिस्टर में की जाये ।

34. जब्त शेयर केनरा बैंक की संपत्ति होगी तथा वह बेची जा सकती है । - इस तरह से जब्त किसी भी शेयर को केनरा बैंक की संपत्ति माना जायेगा तथा उसे बेचा या पुनर्आवंटित किया जाएगा तथा उसे अन्यथा उसका निपटान ऐसी शर्तों पर तथा ऐसे तरीके से किया जाएगा जिसे बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।

35. निरस्तीकरण को निष्प्रभावी बनाने का अधिकार - उप विनियम 32 के तहत इस प्रकार निरस्त किसी भी शेयर को जिसे बेचा जाना, पुनराबंटित किया जाना या अन्यथा निपटान किया जाना था, उससे पहले बोर्ड किसी भी समय, अपने द्वारा ठीक समझे जानेवाली शर्तों पर निरस्तीकरण को निष्प्रभावी बना सकता है ।

36. निरस्तीकरण के समय शेयरधारक द्वारा तथा ब्याज की देयता - कोई भी शेयरधारक जिसके शेयरों को निरस्त किया गया है, उस निरस्तीकरण के निरपेक्ष, वह केनरा बैंक को हर मांग, किश्तें, ब्याज तथा अन्य देय धन या उन शेयरों के मामले में निरस्तीकरण के समय निरस्तीकरण से लेकर भुगतान तक बोर्ड द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज समेत तुरंत भुगतान करने के लिए बाध्य है तथा भुगतान करेगा तथा बोर्ड संपूर्ण राशि या उसके अंश के भुगतान को लागू करेगा ।

37. आंशिक भुगतान - जब्ती में प्रतिबाधक नहीं बनेगा - किसी भी शेयर के मामले में देय किसी भी मांग या अन्य राशि के लिए केनरा बैंक के पक्ष में न ही कोई अधिनिर्णय और न ही कोई डिक्री या न ही उसके तहत कोई भुगतान या अनुतोष या किसी भी शेयर के मामले में या तो मूलधन या ब्याज के रूप में समय-समय पर शेयरधारक द्वारा देय होनेवाली किसी भी राशि की केनरा बैंक द्वारा आंशिक प्राप्ति, या किसी भी राशि के भुगतान के मामले में केनरा बैंक द्वारा अनुमत भुगतान स्थगन, इन विनियमों के तहत ऐसे शेयरों की जब्ती में प्रतिबाधक नहीं होगा ।

38. शेयरों की जब्ती बैंक के प्रति किसी भी दावे को समाप्त कर देती है - शेयर की जब्ती के साथ, जब्ती के समय शेयर में या शेयर से संबंधित अन्य अधिकारों में उसके (शेयरधारक) हित तथा बैंक के प्रति सभी दावों या / मांगों को समाप्त कर देती है, जिसके लिये अपवाद हैं केवल वे अधिकार जिन्हें इन विनियमों द्वारा स्पष्ट रूप से छूट दी गई है ।

39. बिक्री, पुनर्निर्गमन, पुनः आबंटन अथवा जब्ती द्वारा निपटान के अंतर्गत अकृत एवं शून्य बने मूल शेयरों की, इसके पूर्ववर्ती विनियमों के प्रावधानों के अधीन बिक्री, पुनर्निर्गमन, पुनः आबंटन या अन्यथा निपटान की स्थिति में, संबंधित शेयरों के मामले में मूलतः जारी प्रमाणपत्र (जब तक कि बैंक द्वारा मांगे जाने पर, चूककर्ता सदस्य द्वारा उसे बैंक को अभ्यर्पित किया नहीं जाता) निरस्त होंगे और अकृत एवं शून्य बन जाएंगे और उनका कोई प्रभाव नहीं होगा तो उक्त शेयरों के संबंध में एक नया प्रमाणपत्र या अनेक प्रमाणपत्र, उसके हकदार व्यक्तियों को जारी करने के लिए बोर्ड का अधिकार होगा ।

40. जब्ती संबंधी प्रावधानों को लागू करना - किसी ऐसी रकम की अदायगी न करने पर इस विनियमावली के जब्ती संबंधी प्रावधान लागू होंगे, जो शेयर जारी करने की शर्तों के मुताबिक एक निश्चित समय पर देय बन जाती है, चाहे शेयर का अंकित मूल्य के कारण हो या प्रीमियम के रूप में जो रकम विधिवत् की गई मांग पर देय बन जाती हो ।

41. शेयरों पर ग्रहणाधिकार -

i) निम्नांकित पर बैंक का सर्वप्रथम एवं परम ग्रहणाधिकार होगा -

क) मांगी गई या निश्चित समय पर देय सभी रकमों के लिए (वर्तमान में देय हो या नहीं) प्रत्येक शेयर (जोकि पूर्णतः चुकता शेयर नहीं हो)

ख) एक व्यक्ति अथवा उसकी संपदा द्वारा बैंक को वर्तमान में देय बनी सभी धनराशियों के लिए उस व्यक्ति के एकल नाम में पंजीकृत सभी शेयर (जो कि पूर्णतः चुकता शेयर नहीं हो) ।

ग) प्रत्येक व्यक्ति (अपने नाम या फिर दूसरों के साथ संयुक्त रूप से) के नाम पंजीकृत सभी शेयर तथा बैंक के प्रति उसके अपने द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से देय ऋणों, देयताओं एवं बाध्यताओं के लिए उन शेयरों को बेचने से प्राप्त आगम, चाहे उसके भुगतान, पूर्ति या निर्मोचन का वास्तविक रूप से परिकलन किया गया हो अथवा नहीं और अपने ग्रहणाधिकार पर किसी भी शेयर पर सांकेतिक ब्याज का निर्धारण न किया गया हो ।

बशर्ते निदेशक मंडल, किसी भी समय इस खंड के प्रावधानों से किसी भी शेयर को पूरी या आंशिक छूट दे सकता है ।

ii) शेयर पर बैंक का ग्रहणाधिकार, उन पर देय सभी लाभांश पर भी लागू होगा ।

42. शेयर बेचकर ग्रहणाधिकार का प्रवर्तन करना -

i) बैंक किसी भी शेयर को, जिन पर कंपनी का ग्रहणाधिकार है, ऐसे तरीके से बेच सकता है, जो बोर्ड उचित समझे ।

क) यदि ग्रहणाधिकार जिस रकम से संबंधित है, वह वर्तमान में देय बन गयी हो और

ख) चौदह दिन की अवधि के समाप्त होने के बाद, वर्तमान में देय बनी रकम के, जिस से ग्रहणाधिकार संबंधित है, ऐसे हिस्से का बयान करते हुए और भुगतान की मांग करते हुए लिखित सूचना इस समय शेयर के पंजीकृत धारक को अथवा उसकी मृत्यु या दिवालियेपन के कारण पात्र बने व्यक्ति को दी गयी हो ।

42. शेयर बेचकर ग्रहणाधिकार का प्रवर्तन करना -

i) बैंक किसी भी शेयर को, जिन पर कंपनी का ग्रहणाधिकार है, ऐसे तरीके से बेच सकता है, जो बोर्ड उचित समझे ।

क) यदि ग्रहणाधिकार जिस रकम से संबंधित है, वह वर्तमान में देय बन गयी हो और

(ii) चौदह दिन की अवधि के समाप्त होने के बाद, वर्तमान में देय बनी रकम के, जिस से ग्रहणाधिकार संबंधित है, ऐसे हिस्से का बयान करते हुए और भुगतान की मांग करते हुए लिखित सूचना दस सामय शेयर के पंजीकृत धारक को अथवा उसकी मृत्यु या दिवालियेजन के कारण पात्र बने व्यक्ति को दी गयी हो ।

(iii) ऐसी बिक्री करने की दृष्टि से बोर्ड, शेयर के खरीदार को शेयरों का अंतरण करने के लिए किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है ।

43. शेयरों की बिक्री के आगम का विनियोजन - विनियम 42 के अधीन शेयरों की किसी बिक्री से प्राप्त निवल राशि का विनियोजन, ऐसी बिक्री की लागत को कम करने के बाद, उस ऋण या देयता को चुकाने के लिए किया जाएगा, जिनके संबंध में ग्रहणाधिकार मौजूद है और जो वर्तमान में देय है और यदि कोई राशि शेष बचती है तो वह शेयरधारक अथवा शेयरों की बिक्री बेचे गए शेयरों के अंतरण के फलस्वरूप अई व्यक्ति को अदा की जाएगी ।

44. जब्ती का प्रमाणपत्र - केनरा बैंक के किसी निदेशक या इस संबंध में विधिवत् प्राधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर के अधीन इस आशय का एक लिखित प्रमाणपत्र कि शेयर के मामले में मांग की गई है और कि बोर्ड के इस आशय के संकल्प द्वारा शेयर जब्त कर लिए गए हैं, ऐसे शेयरों के पात्र सभी व्यक्तियों के खिलाफ तथ्यों का प्रमाण होगा ।

45. जब्त शेयरों के खरीदार एवं आबंटितियों का हक - केनरा बैंक, किसी बिक्री, पुनराबंटन या अन्य निपटान के फलस्वरूप शेयर के लिए प्रदत्त प्रतिफल प्राप्त कर सकता है तथा जिस व्यक्ति को ऐसे शेयर बेचे, पुनराबंटित किए अथवा निपटाए गए हैं, उसको शेयर के धारक के रूप में पंजीकृत किया गया है और प्रतिफल के विनियोजन के बारे में उसको जानकारी प्राप्त होना ज़रूरी नहीं और न ही शेयर की जब्ती, बिक्री पुनराबंटन और अन्य निपटान के संदर्भ में की गई कार्यवाही में किसी अनियमितता या अवैधता द्वारा, शेयर पर उसके हक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और बिक्री के कारण प्रभावित कोई व्यक्ति मात्र केनरा बैंक के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का दावा कर पाएगा ।

16. शेयरधारकों को नोटिस अथवा दस्तावेज भेजना -

i) बैंक, किसी शेयरधारक को व्यक्तिगत रूप से या उसके पंजीकृत पते पर सामान्य डाक से अथवा यदि भारत में उसका कोई पंजीकृत पता नहीं है तो उसके द्वारा बैंक को दिए गए, भारत के भीतर के पते पर कोई नोटिस या दस्तावेज भेज सकता है ।

ii) जहां डाक द्वारा दस्तावेज अथवा नोटिस भेज दी गई है, ऐसी नोटिस या दस्तावेज का प्रेषण, दस्तावेज या नोटिस के सांश एक पत्र पर उचित पता लिखने, पहले से भुगतान करने और डाक में डालने की प्रक्रिया मानी जाएगी :

बशर्ते जहां एक शेयरधारक ने पहले ही बैंक को सूचना दी है कि डाक-प्रेषण प्रमाणपत्र के अधीन अथवा पावती सहित या रहित पंजीकृत डाक द्वारा उसको दस्तावेज भेजे जाएं तथा इस प्रकार करने के लिए पर्याप्त राशि बैंक में जमा की हो, जब तक कि शेयरधारक द्वारा बताए गए तरीके से भेजा नहीं जाता यह नहीं माना जाएगा कि दस्तावेज या नोटिस भेज दी गई है । और ऐसी सेवा को एक बैठक की नोटिस के मामले में उसकी सूचना देनेवाले पत्र की तारीख के अड़तालीस घंटे बाद और अन्य मामलों में डाक से सामान्यतया पत्र के वितरित करने के समय, उपलब्ध करायी गयी माना जाएगा ।

iii) भारत में व्यापक तौर पर परिचालित एक अखबार में विज्ञापन के रूप में दी गई सूचना अथवा एक दस्तावेज को ऐसे प्रत्येक शेयरधारक को उस दिन विधिवत् दी गई सूचना माना जाएगा जिनका भारत में अपना पंजीकृत पता नहीं है और जिन्होंने अपने को नोटिस देने हेतु भारत के भीतर का कोई पता बैंक को नहीं दिया है ।

iv) शेयर के संबंध में रजिस्टर में शामिल प्रथम शेयरधारक को भेजकर बैंक द्वारा किसी शेयर के संयुक्त खाताधारक को नोटिस या दस्तावेज सुपुर्द किया जा सकता है और इस प्रकार दी गई नोटिस, उक्त शेयरों के धारकों के लिए पर्याप्त नोटिस होगी ।

v) एक शेयरधारक की मृत्यु अथवा दिवालियेपन के फलस्वरूप एक शेयर के लिए पात्र व्यक्ति को बैंक द्वारा एक नोटिस या दस्तावेज, इस प्रकार में किसी पते पर उनके अथवा मृत व्यक्ति के प्रतिनिधि के अथवा दिवालिया के समनुदेशितियों के अथवा इसी प्रकार के अन्य किसी व्यक्ति के नाम संबोधित पूर्व-भुगतान किए गए पत्र द्वारा भेज सकता है या जब तक कि इस प्रकार का पता नहीं दिया जाता, दस्तावेज इस प्रकार पहुँचा दिया जाएगा, जैसे मृत्यु या दिवालियापन हुआ ही न हो ।

vi) केनरा बैंक द्वारा दी जानेवाली किसी नोटिस पर हस्ताक्षर लिखित या मुद्रित हो

49. प्रतिभूति प्रमाणपत्रों का अभ्यर्पण

(i) कोई भी शेयरधारक या बैंक की प्रतिभूति का कोई भी धारक जो उपरोक्त नियम 48 के तहत करारबद्ध हो गया है, वह जिस प्रतिभूति के मामले में डिपॉज़िटरी की सेवा का लाभ उठाना चाहता है, उस प्रतिभूति प्रमाण पत्र को उसे बैंक को सौंपना चाहिए ।

(ii) उपरोक्त उप-विनियम (i) के तहत प्रतिभूति प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर बैंक प्रतिभूति प्रमाणपत्र को रद्द करेगा तथा उस प्रतिभूति के मामले में पंजीकृत स्वामी के रूप में उस डिपॉज़िटरी का नाम प्रतिस्थापित करेगा तथा तदनुसार डिपॉज़िटरी को सूचित करेगा ।

(iii) डिपॉज़िटरी उपरोक्त उप-विनियम (ii) के तहत सूचना प्राप्त करने के बाद, उपरोक्त उप-विनियम (i) में संदर्भित व्यक्ति के नाम के अपने रिकार्डों में हितार्थिकारी स्वामी के रूप में प्रविष्ट करेगा ।

50. प्रतिभूति के अंतरण को डिपॉज़िटरी के पास पंजीकृत करना - प्रत्येक डिपॉज़िटरी, बैंक रजिस्टर से प्रतिभूति के अंतरण को प्रभावी बनाने की सूचना प्राप्त करने के बाद उसी अंतरिती के नाम पर अंतरित करेगी ।

51. प्रतिभूति प्रमाणपत्र प्राप्त करने या डिपॉज़िटरी के यहाँ रखी प्रतिभूति के धारण का विकल्प ।

(i) बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई प्रतिभूतियों का अभिदान करनेवाले व्यक्ति को या तो प्रतिभूति प्रमाणपत्र प्राप्त करने या प्रतिभूति को डिपॉजिटरी के पास रखने का विकल्प रहता है ।

(ii) जब कोई व्यक्ति निक्षेपागार के पास प्रतिभूति रखने का विकल्प अपनाता है, तो बैंक प्रतिभूति के आबंटन के ब्यौरे की सूचना ऐसी डिपॉज़िटरी को दे देगा तथा ऐसी सूचना प्राप्त होने के बाद डिपॉज़िटरी उस आबंटिती के नाम को उस प्रतिभूति के हितार्थिकारी स्वामी के रूप में अपने रजिस्टर में प्रविष्ट करेगी ।

52. डिपॉज़िटरी में रखनेवाली प्रतिभूतियाँ समरूप प्रकार में होनी चाहिए - डिपॉज़िटरी द्वारा धारित सभी प्रतिभूतियाँ डिमटिरियलाइज्ड होनी चाहिए तथा समरूप होनी चाहिए ।

अध्याय III

निक्षेपागार में रखी बैंक की प्रतिभूतियां

47. बैंक एवं निक्षेपागार के बीच संविदा - बैंक द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों के संबंध में सेवाओं का लाभ उठाने के लिए बैंक एक या अनेक निक्षेपागार के साथ संविदा कर सकता है ।

48. सहभागी एवं निक्षेपागार के बीच संविदा

i) कोई भी सहभागी, किसी निक्षेपागार के एजेन्ट के रूप में कार्य करने हेतु संविदा कर सकता है । जिस निक्षपागार के साथ संविदा किया जाएगा, वह विनियम 47 के अधीन बैंक द्वारा संविदा किए गए निक्षेपागार में से कोई होगा ।

ii) बैंक का कोई भी शेयरधारक बैंक द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों के संबंध में सेवाओं का लाभ उठाने हेतु ऐसे निक्षपागार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सहभागी के ज़रिए निक्षपागार के साथ संविदा कर सकता है ।

53. हिताधिकारी स्वामी के अधिकार डिपॉज़िटरी के पास धारित उसकी प्रतिभूतियों के मामले में हिताधिकारी स्वामी सभी अधिकारों तथा लाभों का हकदार होगा तथा सभी देयताओं के लिए ज़िम्मेदार होगा ।

54. हिताधिकारी स्वामी रजिस्टर -

(i) प्रत्येक डिपॉज़िटरी द्वारा धारित बैंक की प्रतिभूतियों के संबंध में प्रत्येक डिपॉज़िटरी द्वारा डिपॉज़िटरीज़ अधिनियम 1996 या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्धारित प्रारूप में हिताधिकारी स्वामियों संबंधी रजिस्टर एवं सूचक का रख-रखाव किया जाए ।

(ii) बैंक द्वारा निर्धारित अंतराल पर डिपॉज़िटरी द्वारा अपने यहाँ रखे गए हिताधिकारी स्वामी रजिस्टर तथा सूचक की अद्यतन प्रति बैंक को प्रस्तुत की जाये ।

55. किन्हीं प्रतिभूतियों के मामले में बाहर निकलने का विकल्प

(i) यदि कोई हिताधिकारी स्वामी किसी प्रतिभूति के मामले में डिपॉज़िटरी से बाहर निकलना चाहता है, तो उसके द्वारा डिपॉजिटरी को तदनुसार सूचित किया जाए ।

(ii) उपरोक्त उप-विनियम (i) के तहत इस तरह की सूचना प्राप्त होने पर डिपॉज़िटरी द्वारा अपने रिकार्डों में उचित प्रविष्टियाँ की जायें तथा बैंक को उसकी सूचना दी जाए ।

(iii) डिपॉज़िटरी से सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर तथा ऐसा शर्तें पूरी होने पर तथा सेबी डिपॉज़िटरीज़ तथा प्रतिभागी विनियम 1996 तथा / या डिपॉज़िटरीज़ अधिनियम, 1996 द्वारा विनिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करने पर बैंक द्वारा हिताधिकारी स्वामी को या अंतरिती को जैसा भी मामला हो प्रतिभूति प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा ।

अध्याय 4

शेयरधारकों की बैठकें

56. वार्षिक आम बैठक के आयोजन की नोटिस

(i) शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक के आयोजन की नोटिस केनरा बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक या अन्य किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित, बैठक के पूरे 21 दिन पहले, भारत में व्यापक रूप से परिचालित होनेवाले कम से कम दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की जानी चाहिए ।

(ii) ऐसी प्रत्येक नोटिस में ऐसी बैठक के समय, तारीख व स्थान की सूचना तथा उस बैठक में जिस कारोबार के संबंध में चर्चा की जाएगी उसकी सूचना होनी चाहिए ।

(iii) ऐसी बैठक के समय व तिथि का निर्धारण बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए । बैठक केनरा बैंक के प्रधान कार्यालय में होनी चाहिए ।

57. असाधारण आम बैठक

(i) बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में बैंक का कोई भी निदेशक शेयरधारकों की असाधारण बैठक का संयोजन कर सकता है, यदि बोर्ड ने ऐसा निदेश किया हो या ऐसी बैठक की मांग या तो केंद्र सरकार या ऐसे सभी शेयरधारकों द्वारा की गई हो जो कुल शेयरधारकों के संपूर्ण मताधिकार के कम से कम दस प्रतिशत अधिकार के हकदार हो ।

(ii) उपरोक्त उप-विनिमय (i) में उल्लिखित मांग में वह उद्देश्य स्पष्ट किया जाना चाहिए जिसके लिए असाधारण आम बैठक बुलाने की आवश्यकता पड़ी है, परंतु ऐसी ही फॉर्म में अनेक दस्तावेज़ समाहित हो सकते हैं जिनमें से प्रत्येक दस्तावेज़ पर मांगकर्ताओं में से एक या अनेक के हस्ताक्षर होंगे ।

(iii) जहाँ दो या उससे अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से किसी शेयर के स्वामी हैं, ऐसी स्थिति में उनमें से एक या अधिक धारकों द्वारा हस्ताक्षरित ऐसी मांग या नोटिस को उस विनियम के प्रयोजन हेतु सही प्रमाण तथा असर होगा मानो सभी धारकों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए गए हों ।

(iv) असाधारण आम बैठक के समय, तिथि व स्थान का निर्धारण बोर्ड द्वारा किया जाएगा :

> बशर्ते कि केंद्र सरकार या अन्य शेयरधारकों की मांग पर संयोजित बैठक, मांग की प्राप्ति के पैंतालिस दिनों के अंदर आयोजित की जानी चाहिए ।

(v) यदि अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक, जैसा भी हो, यदि उप-विनियम (i) की आवश्यकतानुसार बैठक का संयोजन उप विनियम iv के उपबंध के अनुसार निर्धारित अवधि के अंदर नहीं करता, तो खुद मांगकर्ताओं द्वारा मांग की तिथि से तीन महीने के अंदर बैठक बुलायी जा सकती है ।

बशर्ते कि, उपरोक्त तीन महीने की अवधि समाप्त होने से पहले विधिवत रूप से संयोजित बैठक को इस उप-विनियम की कोई भी बात, उस अवधि की समाप्ति के बाद किसी भी तिथि को स्थगित करने से रोक नहीं लगायेगी ।

(vi) मांगकर्ताओं द्वारा उप-विनियम (v) के तहत बुलायी गयी बैठक जहाँ तक संभव हो उसी तरीके से बुलायी जाये जैसा कि बोर्ड द्वारा अन्य आम बैठकें बुलायी जाती हैं ।

58. आम बैठक का कोरम -

(i) शेयरधारकों की किसी भी बैठक में किसी कारोबार पर कोई चर्चा नहीं की जानी चाहिए यदि ऐसी बैठक में मत देने का अधिकार रखनेवाले कम से कम पाँच शेयरधारकों का कोरम, ऐसे कारोबार के प्रारंभ में व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर उपस्थित न हो ।

(ii) केंद्रीय सरकार को छोड़कर शेयरधारकों की मांग पर बुलायी गयी बैठक के मामले में बैठक के लिए नियत किये गये समय के आधे घंटे के अंदर यदि कोरम उपस्थित न हो, तो बैठक विगलित की जायेगी ।

(iii) अन्य किसी भी मामले में, बैठक के लिए नियत समय के आधे घंटे के अंदर यदि कोरम उपस्थित न हो तो बैठक अगले हफ्ते के उसी दिन उसी समय तथा स्थान पर या अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किसी भी दिन, समय या स्थान के लिए आस्थगित की जायेगी । आस्थगित बैठक के लिए निर्धारित समय के आधे घंटे के अंदर यदि कोरम उपस्थित न हो, तो जो शेयरधारक व्यक्तिगत रूप से या अन्य व्यक्तियों के द्वारा या विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधियों के द्वारा आस्थगित बैठक में उपस्थित हो, तो उसी को कोरम माना जाये तथा जिस कारोबार के लिए बैठक बुलायी गयी थी, प्रयोजन पूरा किया जाए ।

बशर्ते कि किसी भी वार्षिक आम बैठक को उस समय के बाद की तिथि को आस्थगित न किया जाए, जो कि इस अधिनियम की 10 ए (i) की शर्तों के अनुसार आयोजित करना अपेक्षित है तथा यदि परवर्ती हफ्ते के उसी दिन को बैठक आस्थगित करने से उसका यही प्रभाव होगा, तो वार्षिक आम बैठक आस्थगित नहीं की जाएगी, और यदि कोरम उपस्थित हो तो बैठक के लिए नियत समय के एक घंटे के अंदर या उस समय से लेकर एक घंटे की समाप्ति के तुरंत बाद, बैठक का कारोबार प्रारंभ किया जाए तथा जो शेयरधारक व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी से या विधिवत रूप से प्रतिनिधित्व के जरिये उपस्थित लोगों को कोरम माना जाये ।

69. आम बैठक के अध्यक्ष

(i) अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक द्वारा या आम तौर पर या, उस विशेष बैठक के लिए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी ऐसे किसी एक निदेशक द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जायेगी तथा यदि अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक या इसके लिए प्राधिकृत अन्य कोई निदेशक यदि उपस्थित न हो तो बैठक में उपस्थित व्यक्ति अन्य किसी निदेशक को अध्यक्ष के रूप में चुन सकती है ।

(ii) आम बैठक के अध्यक्ष आम बैठक के दौरान प्रक्रिया का नियंत्रण करेंगे विशेष कर उन्हें यह तय करने का अधिकार होगा कि शेयरधारक किस क्रम में बैठक को संबोधित करेंगे, अध्यक्ष उनके भाषण के लिए समय निर्धारित करेंगे, जब उनकी राय में किसी विषय पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी हो तो उसको समाप्त कर देंगे तथा बैठक को स्थगित करेंगे ।

60. सामान्य बैठक में भाग लेने हेतु अर्ह व्यक्ति

(i) उपनियम (ii) के प्रावधानों के अधीन केनरा बैंक के सभी निदेशक व शेयरधारक आम बैठक में भाग लेने के लिए अर्ह होंगे ।

(ii) आम बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारक (केन्द्र सरकार को छोड़कर) या निदेशक अपनी पहचान व मताधिकार सिद्ध करने हेतु अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्र, जिसमें निम्न जानकारी होनी चाहिए, हस्ताक्षर कर बैंक को प्रस्तुत करेंगे ।

(क) उनका पूरा नाम व पंजीकृत पता ।

(ख) उनके शेयरों की विनिर्दिष्ट क्रम सं.

(ग) क्या उनका मताधिकार है और कितने मत व्यक्तिगत रूप से या प्रोक्सी या पूर्ण रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में देने का अधिकार उनके पास है

61. आम बैठक में मताधिकार

i) किसी आम बैठक में जब तक मतदान की मांग नहीं की जाती है किसी भी संकल्प पर निर्णय हाथ उठाकर लिया जाना चाहिए ।

(ii) नियम के अन्तर्गत अन्यथा प्रावधान न होने पर आम बैठक के सभी मुद्दों पर निर्णय बहुमत के आधार पर होना चाहिए ।

(iii) उप नियम (i) के अन्तर्गत जब तक मतदान की मांग नहीं की जाती है, बैठक के अध्यक्ष द्वारा यह घोषणा कि हाथ ऊपर उठाकर संकल्प सर्वसम्मति द्वारा या एक विशेष बहुमत द्वारा पारित किया गया है या पारित नहीं किया गया है संबंधी प्रविष्ट जो कि बैठक के कार्यवृत्त को नोट करने वाली बही में प्रविष्ट किया जाता है तथ्यों का पूरा साक्ष्य माना जाएगा भले ही इस प्रकार के संकल्प के पक्ष में या संकल्प के विरोध में पड़े मतों के अनुपात का साक्ष्य हो या न हो ।

(iv) हाथ ऊपर उठाकर किए गए किसी संकल्प के मतदान की घोषणा करने पर या उसके पूर्व, बैठक के अध्यक्ष के अपने अभिमत पर तथा किसी शेयरधारक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित शेयरधारक द्वारा या प्रोक्सी द्वारा जिनके पास केनरा बैंक के शेयर है जो इस संकल्प के कुल मताधिकार के 1/5 से कम न हो, जो उन्हे संकल्प के पक्ष में या विरोध में वोट करने का अधिकार देते हैं, मांग किए जाने पर बैठक के अध्यक्ष द्वारा मतदान का आदेश दिया जा सकता है । पर

(v) मतदान करने हेतु की गई मांग को इस प्रकार मांग करनेवाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा वापस लिया जा सकता है ।

(vi) स्थगन प्रस्ताव पर मांग किए गए मतदान अथवा बैठक के अध्यक्ष के चुनाव हेतु मतदान को तुरंत किया जाएगा ।

(vii) अन्य किसी प्रश्न पर मत विभाजन की मांग को इस प्रकार की मांग की 48 घंटों के अंदर अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार किया जाना चाहिए ।

(viii) किसी व्यक्ति का मत देने का अधिकार तथा मतदान की स्थिति में किसी व्यक्ति को कितने मत प्रदान करने का अधिकार है इस संबंध में बैठक के अध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा ।

62. आम बैठक का कार्यवृत्त

(i) केनरा बैंक द्वारा कार्यवाहियों का कार्यवृत्त इस प्रयोजनार्थ रखी गई पुस्तिका में नोट करवाने हेतु कार्रवाई [illegible] की जाएगी।

(ii) कोई भी कार्यवृत्त, जिसे उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा जिसमें ऐसी कार्यवाही संपन्न हुई, या परवर्ती बैठक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना अभिप्रेत है तो उसे उस कार्यवाही का साक्ष्य माना जाएगा।

(iii) अन्यथा यह साबित होने तक हर आम बैठक की उक्त कार्यवाही से संबंधित कार्यवृत्त को विधिवत रूप से बुलाई गई और चलाई गई बैठक की कार्यवाही माना जाएगा।

भाग V

निदेशकों का चुनाव

63. आम बैठक में चुने जानेवाले निदेशक

(i) नियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खण्ड (i) के नियम के अंतर्गत रजिस्टर में नाम दर्ज वाले शेयरधारकों द्वारा, केन्द्रीय सरकार को छोड़कर केनरा बैंक की आम बैठक में अपने में से एक को निदेशक के रूप में चुना जा सकता है।

(ii) किसी आम बैठक में निदेशक का चुनाव किया जाना हो तो इस संबंध में सूचना को बैठक की सूचना में शामिल किया जाना चाहिए। इस प्रकार की हर सूचना में चुने जानेवाले निदेशकों की संख्या तथा जिनके लिए मतदान किया जाना है उन रिक्तियों का ब्योरा दिया जाना चाहिए।

64. शेयरधारकों की सूची

(i) निदेशक के चुनाव हेतु इस विनियमावली के विनियम 63 के उप विनियम (i) के अनुसार रजिस्टर में दर्ज शेयरधारकों की सूची बनाई जानी चाहिए जिनमें से निदेशक चुना जाना है।

(ii) शेयरधारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते, उनके द्वारा धारित शेयरों के पंजीकरण की तिथि समेत उन शेयरों की संख्याएं तथा विशिष्ट संख्याएं, जिस बैठक में चुनाव किए जाएंगे उसके लिए निर्धारित तारीख को वे कितने मतों के हकदार होंगे, ये बातें सूची में सम्मिलित होंगी तथा बोर्ड या प्रबंधन समिति द्वारा बैठक के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम तीन हफ्ते पहले यह सूची प्रधान कार्यालय में आवेदन देने पर बोर्ड या प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित मूल्य पर खरीद हेतु उपलब्ध होगी।

65. चुनाव के लिए अभ्यर्थियों का नामांकन

(i) निदेशक के रूप में चुनाव के लिए अभ्यर्थी का नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि निम्नांकित शर्तें पूरी न हों -

(अ) वह ऐसा शेयरधारक है जिसके पास केनरा बैंक के 100 शेयर हैं ।

(आ) यथा नामांकन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को, वह, व्यक्ति अधिनियम के तहत या योजना के तहत निदेशक बनने के लिए अयोग्य ठहराया नहीं गया हो ।

(इ) या तो उसके अकेले द्वारा या अन्य लोगों के साथ संयुक्त रूप से धारित शेयरों के मामले में मांग के भुगतान के लिए निर्धारित अंतिम तारीख से पहले उसने सभी मांग का भुगतान किया हो ।

(ई) नामांकन लिखित रूप में हो तथा उस पर न्यूनतम ऐसे सौ शेयरधारकों के हस्ताक्षर होने चाहिए जिन्हें अधिनियम के तहत या विधिवत रूप से गठित एटर्नी द्वारा निदेशकों के चुनाव का अधिकार प्राप्त हो, और नामांकित शेयरधारक, कंपनी होने की स्थिति में , उस कथित कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा संकल्प पारित किया जाता है, जिस बैठक में वह संकल्प पारित किया जाता है, उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकृत संकल्प की सत्य प्रतिलिपि केनरा बैंक के प्रधान कार्यालय को भेजी जाए तथा ऐसी प्रतिलिपि को कंपनी की ओर से नामांकन माना जाए ।

(उ) नामांकन के साथ या उसमें समाहित एक घोषणापत्र होगा जिस पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होंगे तथा वे हस्ताक्षर न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या अशबामन के रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी या अन्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के सामने वह इस बात को प्रमाणीकृत करते हुए हस्ताक्षर करें कि वह नामांकन को स्वीकार करता है तथा वह चुनाव के लिए खड़ा होने के लिए इच्छुक है तथा या तो अधिनियम या योजना या इन विनियमनों के अधीन निदेशक बनने के लिए उसे अयोग्य नहीं ठहराया गया है ।

(ii) बैठक के लिए नियत 14 दिनों पूर्व केनरा बैंक के प्रधान कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को नामांकन सभी संबंधित दस्तावेजों सहित प्राप्त न होने पर नामांकन वैध नहीं माना जाएगा ।

68. नामांकनों की संवीक्षा

(i) नामांकन प्राप्ति की अंतिम तिथि के तुरंत बाद के कार्यदिवस को नामांकनों की जांच की जाएगी और कोई नामांकन वैध न पाए जाने की स्थिति में कारणों को नोट करते हुए उसे अस्वीकार किया जाएगा । किसी एक रिक्ति के चुनाव के लिए केवल एक ही वैध नामांकन प्राप्त होने की स्थिति में इस प्रकार नामित अभ्यर्थी को तत्काल चुना गया माना जाएगा तथा चुना गया करार देते हुए उनका नाम और पता प्रकाशित किया जाएगा । इस स्थिति में इस प्रयोजनार्थ बुलाई गई बैठक में कोई भी चुनाव नहीं किया जाएगा । अगर, बैठक केवल चुनाव हेतु ही बुलायी गया हो तो उसे रद्द माना जाएगा ।

(ii) निदेशकों के पद हेतु वैध नामांकन अगर रिक्ति से अधिक हो और चुनाव होने की स्थिति में जिस अभ्यर्थी को बहुमत प्राप्त होता है, उसे चुना गया माना जाएगा ।

(iii) यह माना जाएगा कि किसी रिक्त पद के लिए चुने गए निदेशक अपने चुने जाने की तिथि के परवर्ती दिन कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

67. चुनाव संबंधी विवाद

(i) नियुक्त समझे गए या नियुक्त घोषित व्यक्ति की अर्हता या अनर्हता या निदेशक की नियुक्ति की वैधता के बारे में किसी प्रकार की शंका या विवाद होने की स्थिति में कोई भी इच्छुक व्यक्ति, एक उम्मीदवार की हैसियत से या ऐसे चुनाव में अपना मत देने के लिए पात्र शेयरधारक के बतौर ऐसे चुनाव के परिणाम की घोषणा की तिथि से सात दिनों के भीतर केनरा बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को लिखित रूप में सूचना दे सकता है और उक्त सूचना में उस आधार के बारे में पूरा ब्यौरा देगा जिस आधार पर वह चुनाव की वैधता के बारे में सन्देह या विरोध करता है ।

(ii) उप-विनियम (i) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर केनरा बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक द्वारा ऐसे सन्देह या विवाद को उस समिति के निर्णय के लिए अविलम्ब संदर्भित किया जाएगा जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक और अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ख) व (ग) के तहत किन्हीं दो निदेशक शामिल हैं ।

(iii) उप-विनियम (ii) में संदर्भित समिति द्वारा ऐसी जांच जैसाकि वह आवश्यक समझे, की जाएगी और यदि समिति द्वारा यह पाया जाता है कि चुनाव वैध चुनाव था तो समिति चुनाव के घोषित परिणाम की पुष्टि करेगी या समिति द्वारा यह पाया जाता है कि चुनाव वैध चुनाव नहीं है, वह जांच प्रारंभ होने के 30 दिनों के भीतर फिर से चुनाव रखने के साथ-साथ ऐसे आदेश और ऐसे निर्देश जारी करेगी जो परिस्थितियों के मद्देनज़र उचित समझती है ।

(iv) इस विनियम के अनुसरण में ऐसी समिति का आदेश और निर्देश अंतिम होगा ।

अध्याय VI

शेयरधारकों का मताधिकार

68. मताधिकारों का निर्धारण

(i) धारा 3 (2ई) की धारा में निहित प्रावधानों के अधीन प्रत्येक शेयरधारक के पास जिस सामान्य बैठक की तिथि के पूर्व, रजिस्टर बंद करने की तिथि को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, "शो ऑफ हैन्ड्स" के बतौर एक मत रहेगा और मतदान के मामले में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत रहेगा ।

(ii) अधिनियम की धारा 3(2ई) में निहित प्रावधानों के अधीन उपरोक्तानुसार मत डालने के लिए पात्र प्रत्येक शेयरधारक के पास जो एक कंपनी नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से या प्रतिनिधि मुख्तार के रूप में उपस्थित है अथवा जो एक कंपनी होने के नाते एक विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में या प्रतिनिधि मुख्तार के रूप में उपस्थित है, "शो ऑफ हैन्ड्स" के बतौर एक मत रहेगा और मतदान के मामले में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत रहेगा जैसाकि उप-विनियम (i) में उपरोक्तानुसार उल्लिखित किया गया है ।

स्पष्टीकरण - इस अध्याय के लिए "कंपनी" से तात्पर्य कोई निगमित निकाय है ।

(iii) सामान्य बैठक में उपस्थित रहकर मत डालने के लिए पात्र बैंक का शेयरधारक, अन्य एक व्यक्ति को (चाहे शेयरधारक हो या न हो) अपने प्रतिनिधि मुख्तार के रूप में उपस्थित रहकर अपनी जगह मत डालने हेतु नियुक्त करने के लिए पात्र होगा। परंतु इस प्रकार से नियुक्त प्रतिनिधि को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं रहेगा ।

69. विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान -

(i) शेयरधारक, जो केन्द्र सरकार या कंपनी हो, एक संकल्प के ज़रिए जैसा भी मामला हो, अपने किसी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को शेयरधारकों की किसी सामान्य बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है और इस प्रकार से प्राधिकृत व्यक्ति (इन विनियमों में "विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि" के रूप में उल्लिखित किया गया है) । केन्द्र सरकार या कंपनी जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, की तरफ से उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पात्र होगा मानो वह केनरा बैंक का ही व्यक्तिगत शेयरधारक हो । इस प्रकार से प्रदत्त प्राधिकार, वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है और ऐसे मामले में ऐसे व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति केन्द्र सरकार / कंपनी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है ।

(ii) केनरा बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में कोई भी व्यक्ति तब तक उपस्थित नहीं रहेगा या न ही मतदान करेगा जब तक कि उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए जाने के प्रति बैठक के अध्यक्ष द्वारा, जहां ऐसे संकल्प पारित किया गया था, सत्यप्रति के रूप में प्रमाणित किया गया हो, बैठक की नियत तिथि के कम से कम चार दिन पूर्व केनरा बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा की जानी चाहिए ।

70. प्रतिनिधि मुख्तार

(i) प्रतिनिधित्व संबंधी कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में, उस पर स्वयं द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत तौर पर अटर्नी द्वारा हस्ताक्षर नहीं कर दिए जाते अथवा संयुक्त शेयरधारकों के मामले में रजिस्टर में नामित प्रथम शेयरधारक द्वारा या लिखित रूप से विधिवत् प्राधिकृत तौर पर उसके अटर्नी द्वारा समनुदेशित नहीं कर दिया जाता अथवा
निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत तौर पर अटर्नी द्वारा हस्ताक्षर नहीं कर दिये जाते :

बशर्ते कि प्रतिनिधित्व संबंधी लिखत पर किसी शेयरधारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षर नहीं कर दिया जाता जो किसी कारणवश अपना नाम लिखने में असमर्थ है, यदि उस पर अपना निशान लगाते हुए न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार, आश्वासन या अन्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी या केनरा बैंक के अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित कर दिया जाता है ।

ii) कोई भी प्रतिनिधित्व (प्राक्सी) तब तक वैध नहीं होगा जब तक उस पर यथोचित स्टाम्प लगाया नहीं जाता और उसकी प्रति मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किया गया है या नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित उस मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार की प्रति के साथ बैठक की नियत तिथि के कम से कम चार दिन पूर्व केनरा बैंक के प्रधान कार्यालय में दर्ज नहीं कर दी जाती जब तक कि ऐसा मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार पूर्व में केनरा बैंक के यहाँ जमा और पंजीकृत नहीं करा दिया गया हो ।

(iii) कोई भी प्रतिनिधित्व (प्राक्सी) तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह फार्म "बी" में नहीं है ।

(iv) केनरा बैंक के यहां जमा प्रतिनिधित्व संबंधी लिखतें अप्रतिसंहरणीय और अंतिम होगी ।

(v) वैकल्पिक तौर पर दो व्यक्तियों के पक्ष में प्रदान की गई प्रतिनिधित्व संबंधी लिखत के मामले में एक से अधिक व्यक्ति द्वारा फार्म निष्पादित नहीं किया जाना है ।

(vi) इस विनियम के तहत प्रतिनिधित्व संबंधी लिखत का प्राप्तकर्ता उस बैठक में जिससे यह लिखत संबंधित है, व्यक्तिगत रूप से मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा ।

(vii) किसी भी व्यक्ति को, जो केनरा बैंक का अधिकारी या कर्मचारी है, विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रतिनिधि मुख्तार के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

केनरा बैंक
कार्मिक प्रबंधन अनुभाग
कार्मिक विभाग
प्रधान कार्यालय
बेंगलूर

दिनांक नवंबर 13, 1999 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित केनरा बैंक अधिकारी सेवा विनियमन 1979 के संदर्भ में शुद्धिपत्र

विनियम 23(iii)(ख) - दोनों पहले और दूसरे प्रावधान में उल्लिखित अक्षर और अंक "रु.350/-" का प्रतिस्थापन क्रमशः अक्षरों और अंकों में रु.50/-द्वारा किया गया है ।

इसे निम्नानुसार पढ़ा जाए

दोनों पहले और दूसरे प्रावधान में उल्लिखित अक्षर और अंक "रु.350/-" का प्रतिस्थापन क्रमशः अक्षरों और अंकों में रु.500/- द्वारा किया गया है ।

बी. वी. कामत B. V. Kameth
महा प्रबंधक General Manager

बेंगलूर दिनांक : 16 01 2001

सं. आईआरएस/124(बी)/ 7441 एमएके । बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5)की धारा 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केनरा बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के बाद निजी क्षेत्र के कंपनियों में नियोजन स्वीकार करना)विनियम, 1979 तथा दिनांक 18.07.95 के अधिसूचना सं. आई. आर. एस/1/1615/डीआरडी द्वारा संशोधित का अतिक्रमण करते हुए केनरा बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (1) ये विनियम केनरा बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, (सेवानिवृत्ति के बाद निजी क्षेत्र के कंपनियों में सेवा प्राप्त करना)विनियम 2001 कहे जायेंगे ।

(2) उक्त विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशित होने की तिथि से प्रवर्तन में आयेंगे

2 प्रवर्तन

नीचे दिये गये को छोड़कर उक्त विनियम बैंक के सभी अधिकारियों पर लागू होंगे ।

i) बैंक के अध्यक्ष।
ii) बैंक के प्रबंध निदेशक।
iii) पूर्णकालिक निदेशक, अगर कोई हो तो
iv) अधिकारी कर्मचारी जो कि बैंक के (कर्मचारी) पेंशन विनियम 1995 के अन्तर्गत आते हैं।
v) ऐसे व्यक्ति जो आकस्मिक सेवा पर हो या जिन्हें आकस्मिक निधि से भुगतान किया जाता हो।
vi) अवार्ड कर्मचारी
vii) संविदा पर अधिकारी

3. परिभाषा

3. इन विनियमों में जब तक प्रसंग के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो,
(क) 'बैंक' से केनरा बैंक अभिप्रेत है ।
(ख) 'बोर्ड' से केनरा बैंक का निदेशक मंडल अभिप्रेत है ।
(ग) 'सक्षम प्राधिकारी' से इस प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा नामोद्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है ।
(घ) 'निजी कंपनियों में रोजगार से तात्पर्य है:-

i) कंपनी (बैंककारी कंपनी को मिलाकर), सहकारी समिति, फर्म में किसी भी पद पर नौकरी, जिसके अन्तर्गत अभिकर्ता के रूप में काम करना भी शामिल है, या व्यापारिक गतिविधियों, वाणिज्यिक उद्योग, वित्तीय या व्यवसायिक कारोबार में नियोजन तथा ऐसे कंपनियों (बैंककारी कंपनी को मिलाकर) में निदेशक के रूप में काम करने को मिलाकर व इस प्रकार के फर्मों में साझेदारी होगी, पर इसके अन्तर्गत पूर्ण या पर्याप्त रूप से केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में आनेवाले निगमित निकाय में रोजगार शामिल नहीं होगा ।

ii) ऐसे मामलों में स्वतंत्र रूप से सलाहकार या परामर्शदाता के तौर पर काम करना या साझेदार के रूप में फर्म स्थापित करना जिसके लिए वह व्यक्ति

क) व्यवसायिक तौर पर योग्यता-प्राप्त नहीं है तथा किये जाने वाले या स्थापित व्यवसाय उनके कार्यालयी ज्ञान या अनुभव से संबंधित हो या

ख) व्यवसायिक योग्यता प्राप्त है पर, स्थापित किये जाने वाले व्यवसाय इस प्रकार का है कि इनके पुराने कार्यालय पद की वज़ह से इनके ग्राहकों को अनुचित लाभ मिलता हो या

ग) बैंक के कार्यालय या अधिकारियों से संपर्क या संबंध स्थापित करना पड़ता हो।

स्पष्टीकरण:- इस खण्ड के प्रयोजनार्थ 'सहकारी समिति में नौकरी' अभिव्यक्ति में किसी भी पद धारण करना शामिल है, जिसपर चाहे वह निर्वाचित या अन्यथा हो जैसे कि अध्यक्ष, सचिव, कोषपाल या इस प्रकार का कोई भी पद जिसे जिस किसी भी नाम से उस सहकारी समिति द्वारा बुलाया जाता हो ।

ङ) 'अधिकारी कर्मचारी ' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो बैंक में पर्यवेक्षी, प्रशासनिक या प्रबंधकीय पद पर रहा हो या अन्य कोई व्यक्ति, जिसने अपनी नियुक्ति तथा/या अपनी सेवानिवृत्ति के समय बैंक में अधिकारी के रूप में या जिस किसी भी नाम से भी वह जाना जाता है, के रूप में कार्य किया हो ।

4. सेवानिवृत्ति के बाद नौकरी स्वीकार करना

1. अगर कोई व्यक्ति ठीक अपनी सेवानिवृत्ति के पूर्व अधिकारी कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहा हो तथा अपनी सेवानिवृत्ति के 2 वर्ष की समाप्ति के पहले ही निजी कंपनी में नौकरी करना चाहता है तो इस प्रकार नौकरी करने हेतु बैंक से पहले अनुमति प्राप्त करेगा ।

2) उप विनियम (3) के प्रावधानों के होते हुए, व्यक्ति द्वारा दिए गए आवेदन पर बैंक, लिखित रूप से शर्तों के अधीन जैसे कि वह आवश्यक समझता है अनुमति देगा या अनुमति देने से इनकार करेगा । ऐसे व्यक्तियों द्वारा निजी क्षेत्र में नौकरी करने हेतु आवेदन को बैंक द्वारा नकारे जाने का कारण बताया जाएगा ।

3) उप नियम (2) के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को वाणिज्यिक नौकरी करने की अनुमति देने या न देने से पूर्व बैंक निम्न मुद्दों पर विचार करेगा ।

क) प्रस्तावित नौकरी का प्रकार तथा नियोजक का पूर्ववृत्त।

ख) उनके द्वारा प्रस्तावित नौकरी में अपने कर्तव्य के पालन में उन्हें बैंक के साथ विरोध करने की स्थिति उत्पन्न हो ।

ग) क्या अधिकारी का अपने सेवाकाल के दौरान प्रस्तावित नियोजक के साथ कोई लेनदेन रहा है क्यों कि ऐसा होने पर शंका के लिए आधार बनता है कि उस व्यक्ति ने ऐसे नियोजक के पक्ष में पक्षपात किया हो ।

घ) क्या इस प्रस्तावित वाणिज्यिक पद का कर्तव्य बैंक से संपर्क या संबंध स्थापित करना होगा ।

ङ) क्या उनका वाणिज्यिक कर्तव्य ऐसा तो नहीं है कि इनके पुराने कार्यालयीन पद की वजह से इनके प्रस्तावित नियोजक को अनुचित लाभ मिलता हो।

च) प्रस्तावित नियोजक द्वारा इनको दी जाने वाली परिलब्धियां । तथा

छ) अन्य कोई सुसंगत कारण

4) जहां आवेदन प्राप्त होने के 60 दिनों के अन्दर बैंक आवेदन को नकारता नहीं है या आवेदक को अस्वीकृत पत्र नहीं भेजता है तो उप नियम (2) के अन्तर्गत यह माना जाएगा कि आवेदन पर बैंक द्वारा अनुमति दी गई है।

परन्तु ऐसे मामलों में जहां आवेदक द्वारा अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण सूचना दी गई हो और बैंक को आवदेक से और स्पष्टीकरण तथा सूचना मंगानी आवश्यक हो जाता है तो 60 दिन की अवधि इस त्रुटि को दूर करने की तिथि से या आवदेक द्वारा पूर्ण जानकारी देने की स्थिति से गिनी जाएगी ।

5) जहां बैंक आवेदन पर किसी शर्तों के अधीन अनुमति देता है या अनुमति देने से इनकार करता है तो, बैंक से इस आशय के आदेश के प्राप्त होने के 30 दिनों के अन्दर आवेदक ऐसी किसी शर्तों के विरोध में या अनुमति न देने के विरोध में अभ्यावेदन कर सकता है तथा इस पर बैंक, जैसा वह ठीक समझे, आदेश जारी करेगा ।

बशर्तेकि इस उप-विनियम के अन्तर्गत ऐसी शर्त को रद्द करनेवाले आदेश या बिना किसी शर्त वाले ऐसे किसी आदेश को छोडकर, प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताने हेतु अभ्यावेदन देने वाले व्यक्ति को एक अवसर दिये बिना कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है।

6) इस विनियम के अन्तर्गत बैंक द्वारा पारित हर आदेश को संबंधित व्यक्ति को सूचित किया जाएगा ।

एन एस श्रीनाथ
सहायक महा प्रबंधक

रक्षा मंत्रालय

कैन्टोनमैन्ट बोर्ड, देहरादून कैन्टोनमैन्ट
देहरादून कैन्ट : २२ जन० २००१

जबकि, एस०आर०ओ० सं० /१ x /६०/पथकर के द्वारा संशोधन के संबंध में सार्वजनिक सूचना भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की संख्या एसआरओ/१ x/६०/ पथकर दिनांक २० मई, १९८६, जो कि २६ मई २००० को प्रकाशित की गई थी, ध्यानाकर्षण हेतु एक प्रति कैन्ट बोर्ड, देहरादून के कार्यालय में लगाई गई थी। कैन्टोनमैन्ट अधिनियम १९२४ (१९२४ के २) के द्वारा धारा–६१ की आवश्यकता अनुसार प्रभावित लोगों के इस संबंध में आपत्तियां और सुझाव मांगे गये थे, जिसकी समय–सीमा कथित सूचना से तीस दिन की थी।

और जबकि, कैन्टोनमैन्ट बोर्ड, देहरादून द्वारा कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं किये गये है।

अब, इस कारण से कैन्टोमैन्ट अधिनियम १९२४ की धारा–६० के द्वारा प्रदत शक्ति प्रयोग कर, केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई पूर्व मंजूरी में निम्नलिखित दर्शाए गए संशोधन अधिसूचना के अनुसार किए जा रहे है :–

कथित अधिसूचना में विद्यमान सूची तथा इस संदर्भ से सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित सूची और प्रविष्टियां रखी जाएगी, जिनके नाम हैं :–

अनुसूची

संख्या	वस्तुओं के नाम	पथकर की दर
१	२	३
१.	माल से लदा हुआ ट्रक (३ मिट्रीक टन तक)	रू० १०.००
२.	माल से लदा हुआ ट्रक (३ से अधिक ६ मिट्रीक टन तक)	रू० २०.००
३.	माल से लदा हुआ ट्रक (६ से अधिक १० मिट्रीक टन तक)	रू० ३०.००
४.	माल से लदा हुआ ट्रक (३ या ४ पहिये वाला)	रू० १०.००
५.	माल से लदा हुआ स्टेशन वैगन	रू० १०.००
६.	मोटर बस (यात्रियों या माल से भरी हुई)	रू० २०.००
७.	माल से लदा हुआ ट्रैक्टर	रू० १०.००
८.	यात्रियों या माल से भरा हुआ ट्रैक्टर ट्रैलर	रू० २०.००
९.	माल से लदी हुई कार/जीप	रू० १०.००
१०.	माल से लदा हुआ स्कूटर रिक्शा	रू० ०५.००
११.	माल से लदी हुई ट्रेलर वाली जीप	रू० १५.००
१२.	माल से लदी हुई पंजाबी गाड़ी	रू० १०.००
१३.	माल से लदा हुआ एक भैंसे वाला भैंसा ठेला	रू० १०.००
१४.	माल से लदा हुआ दो भैंसों वाला भैंसा ठेला	रू० १५.००
१५.	माल से लदी हुई एक बैल वाली बैलगाड़ी	रू० ०५.००
१६.	माल से लदी हुई दो बैलों वाली बैलगाड़ी	रू० १०.००
१७.	माल से लदा हुआ तांगा/बुग्गी	रू० ०५.००
१८.	माल से लदी हुई आदमी द्वारा चालित रेहडी	रू० ०५.००
१९.	तीन पहियों वाली साईकिल	रू० ०५.००
२०.	घोड़ा/टट्टू (पशुभार)	रू० ०५.००
२१.	माल से लदी हुई मोटर साईकिल/स्कूटर	रू० ०५.००
२२.	यात्रियों/ माल से भरी हुई मिनी बस (१६ सीटों तक)	रू० १०.००
२३.	यात्रियों/माल से भरी हुई मिनी बस (२६ सीटों तक)	रू० १५.००
२४.	माल से लदा हुआ विक्रम	रू० ०५.००
२५.	यात्रियों/माल से लदा हुआ ट्रैकर/कमांडो/टाटा मोबाइल	रू० १०.००

नोट :— १० मैट्रिक टन से अधिक क्षमता वाले ट्रकों पर प्रति अतिरिक्त मैट्रिक टन के लिए रू० ३/— अधिक लिए जायेंगे अर्थात रू० ३०/— और अतिरिक्त प्रभार।

छावनी अधिशासी अधिकारी
देहरादून
(डा० एस० एच० खान)

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

नई दिल्ली, दिनांक 16 फरवरी, 2001

शुद्धि पत्र

संख्या एम.सी.आई.-18(1)/2000-मेड.- स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा विनियम, 2000 (भारत के राजपत्र भाग-III, खण्ड-4, दिनांक 7 अक्टूबर, 2000 को प्रकाशित) संबंधी शुद्धि पत्र ।

पृष्ठ 4276 पंक्ति 1 से 6 - शीर्षक सहित वर्तमान प्रविष्टियों को निम्न प्रकार से पढा जाए :-

"भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा विनियम, 2000

नई दिल्ली, दिनांक 22 अगस्त, 2000

संख्या एम.सी.आई.-18(1)/2000-मेड./- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 20 के साथ पठित धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से, एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:-"

(डॉ. एम. सचदेवा)
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक: 2-2-2001

संख्या: एन-15/13/1/28/95-यो. एंव वि.

(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 फरवरी, 2001 ऐसी तारीख के रूप में विनिश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा आन्ध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ आन्ध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात:-

आन्ध्र प्रदेश के जिला रंगारेड्डी के मंडल शमीरपेट में आने वाले राजस्व ग्राम :-

"शमीरपेट, तम्मन्नबोल, लालगड़ी, अलिआबाद, जग्गमगुडा, तकांपल्ली, लक्ष्मापुर तथा मजीदपुर"

और

मेड्चल मंडल में आने वाला राजस्व ग्राम :-"मुरहरपल्ली" ।

(आर.सी. शर्मा)
उप निदेशक (यो. एंव वि.)

CENTRAL BANK OF INDIA
CENTRAL OFFICE, PRS(LEGAL) DEPARTMENT, 17TH FLOOR,
CHANDER MUKHI, NARIMAN POINT,

MUMBAI 400 021-DATED THE 5TH DAY OF FEBRUARY, 2001.

GSR No. ____________________. In exercise of the powers conferred by section 19 read with sub-section (2) of section 12, of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) the Board of Directors of CENTRAL BANK OF INDIA, in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :

1. Short Title and Commencement :-

(1) These Regulations may be called The CENTRAL BANK OF INDIA) Officer Employees' (Discipline and Appeal) Amendment Regulations, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the CENTRAL BANK OF INDIA Officer Employees (Discipline & Appeal) Regulations, 1976 in regulation 6, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely :-

"(2) Whenever the Disciplinary Authority is of the opinion that there are grounds for inquiring into the truth of any imputation of misconduct or misbehavior against an officer employee, it may itself enquire into, or appoint any other person who is, or has been, a public servant (hereinafter referred to as the Inquiring authority) to inquire into the truth thereof.

Explanation :- When the Disciplinary Authority itself holds the inquiry any reference in sub-regulation (8) to sub-regulation (21) to the Inquiring authority shall be construed as reference to Disciplinary Authority".

Name of the Officer : Shri S.K. GUPTA
Designation of the Officer : GENERAL MANAGER (P)
CENTRAL OFFICE
File No. CO:PRS:LEGAL:MISC:3513:SAK:?K-01:

Foot Note [illegible]
regulations were Gazetted as per details given below :

Notification number :
1. GSR No. 44 dated the 1st day of November, 1997.
2. GSR No. 34 dated the 19th day of August, 2000.

VIJAYA BANK

Head Office

Bangalore, the 16th February 2001

No. PER:IRD:503:2001 - In exercise of the powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980) , the Board of VIJAYA BANK in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to amend the VIJAYA BANK Officer Employees' (Conduct) Regulations, 1981 namely:-

1. (i) These Regulations may be called the VIJAYA BANK Officer Employees (Conduct) Amendment Regulations, 2000.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the "Official Gazette".

2. In the Vijaya Bank Officer Employees' (Conduct) Regulations, 1981.

(i) in regulation 3, for sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely :-

"(1) Every officer employee shall, at all times take all possible steps to ensure and protect the interests of the bank and discharge his duties with utmost integrity, honesty, devotion and diligence and do nothing which is unbecoming of an officer employee".

(ii) in regulation 3, after sub-regulation (3), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided wherever such directions are oral in nature the same shall be confirmed in writing by his superior official".

(iii) in regulation 6, in sub-regulation (1), for the existing proviso, the following shall be substituted, namely:-

"Provided that an officer employee may, without such sanction undertake honorary work of a social or charitable nature or occasional work of a literary, artistic, scientific, professional, cultural, educational, religious or social character, subject to the condition that his official duties do not thereby suffer but he shall not undertake or shall discontinue such work if so directed by the competent authority after recording reasons for the same".

(iv) in regulation 6, for sub-regulation (4), the following shall be substituted, namely:-

"(4) No officer employee shall accept any payment, in the form of fee, remuneration, honorarium and the like in cash or kind for any work done by him for any public body or any private person without the sanction of the competent authority".

(B. SRIDH... REDDY)
GENERAL MANAGER (PERSONNEL)

ALLAHABAD BANK
HEAD OFFICE
2, N. S. ROAD
CALCUTTA – 700001 DATE :14.02.2001

No H.O./Legal/1241 . In exercise of the powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) , the Board of Allahabad Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to amend the Allahabad Bank Officer Employees' (Conduct) Regulations, 1976 namely:-

1. **(I) These Regulations may be called the Allahabad Bank Officer Employees' (Conduct) Amendment Regulations, 2001.**

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the 'Official Gazette'.

2. **In the Allahabad Bank Officer Employees' (Conduct) Regulations,1976**

   (i) in regulation 3, for sub-regulation (1) , the following shall be substituted namely:-

   "(1) ***Every Officer employee shall , at all times take all possible steps to ensure and protect the interest of the bank and discharge his duties with utmost integrity, honesty, devotion and diligence and do nothing which is unbecoming of an officer employee*****".**

   (ii) In regulation 3, after sub-regulation (3) , the following proviso shall be inserted , namely:-

   "Provided wherever such directions are oral in nature the same shall be confirmed in writing by his superior official".

(iii) in regulation 6 in sub-regulation (1) for the existing proviso, the following shall be substituted, namely:

"Provided that an officer employee may, without such sanction undertake honorary work of a social or charitable nature or occasional work of a literary, artistic, scientific, professional, cultural, educational, religious or social character, subject to the condition that his official duties do not thereby suffer but he shall not undertake or shall discontinue such work if so directed by the competent authority after recording reasons for the same"

(iv) in regulation 6, for sub-regulation (4) , the following shall be substituted namely:-

"(4) ***No officer employee shall accept any payment, in the form of fee, remuneration, honorarium and the like in cash or kind for any work done by him for any public body or any private person without the sanction of the competent authority.".***

(R. L. Batta)

ASSTT. GENERAL MANAGER(LAW)

Foot Note:- The amendments carried out earlier in the above Regulations were published in the Official Gazette as per details given below:-

Notification No.	Date
Legal/1/88	25.4.88
Legal/1/90	20.01.90
H.O./Legal/333/1137	28.12.92
H.O/Legal/0814	28.09.93
H.O/Legal/0926	14.10.2000

CANARA BANK GENERAL REGULATIONS, 2000

In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 the Board of Directors of Canara Bank, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:

CHAPTER - I

INTRODUCTORY

1. Short title and commencement –

i] These regulations may be called Canara Bank General Regulations, 2000.

ii] These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions - In these regulations, unless there is anything repugnant to the subject or context or meaning thereof -

(a) **"Act"** means the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970);

(b) **"Bank"** means Canara Bank, constituted under Section 3 of the Act;

(c) **"Board"** means the Board of Directors constituted under Section 9 of the Act;

(d) **"Chairman"** means the Chairman of the Board;

(e) **"Committee"** means a Committee as constituted by the Board;

(f) **"Executive Director"** means the wholetime director, not being the Managing Director;

(g) **"General Manager"** means General Manager of the Bank;

(h) **"Management Committee"** means a Committee constituted under Clause 13 of the Scheme;

(i) **"Managing Director"** means Managing Director of the Bank;

(j) **"Register"** means the register of shareholders kept in one or more books of the Bank and includes the register of shareholders kept in computer floppies or diskettes under Sub- section 2 (G) of Section 3 of the Act;

(k) **"Registrar"** means the person appointed by the Bank for -

(i) collecting applications from investors in respect of an issue,

(ii) keeping a proper record of applications and monies received from investors or paid to the seller of the securities,

(iii) assisting the Bank in -

(a) determining the basis of allotment of securities in consultation with the stock exchange,

(b) finalising the list of persons entitled to allotment of securities.

(c) processing and despatching allotment letters, refund orders or certificates and other related documents in respect of the issue, and

(iv) such other function as assigned from time to time by the Bank;

(l) **"Scheme"** means the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970;

(m) **"Share"** means share in the share capital of the Bank;

(n) **" Share transfer agent"** includes -

(i) any person, who on behalf of the Bank maintains the records of holders of securities issued by the Bank and deals with all matters connected with the transfer and redemption of its securities, or

(ii) a department or division (by whatever name called) of the Bank performing the activities referred in Sub-clause (i);

(o) Words and expressions used in Chapter III and not defined in these regulations but defined in the Depositories Act, 1996 (Act 22 of 1996), shall have the meaning respectively assigned to them in the said Act.

(p) Other expressions used and not defined in these regulations but used in the Act or the Scheme shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the Scheme;

CHAPTER - II

SHARES AND SHARE REGISTER

3. Nature of Shares - The Shares of Canara Bank shall be movable property, transferable in the manner provided under these regulations.

4. Kinds of Share Capital

(i) Preference Share Capital means that part of share capital of Canara Bank which fulfils both the following conditions :-

(A) as respects dividends, it carries a preferential right to be paid a fixed amount or an amount calculated at fixed rate, which may be either free of or subject to income tax and

(B) as respect capital, it carries or will carry, on winding up to repayment of capital, a preferential right to be repaid the amount of the capital paid-up or deemed to have been paid-up, whether or not there is preferential right to the payment of either or both of the following amounts, namely :-

(a) any money remaining unpaid, in respect of the amounts specified in Clause (A) upto the date of winding up or repayment of capital, and

(b) any fixed premium or premium on any fixed scale, specified by the Board with the previous consent of the Central Government.

(ii) "Equity Share Capital" means all share capital, which is not preference share capital.

(iii) The expressions "Preference Share" and "Equity Share" shall be construed accordingly.

5. Particulars to be entered in the register

(I) A share register shall be kept, maintained and updated in accordance with sub-section 2(F) of Section 3 of the Act.

(ii) In addition to the particulars specified in sub-section 2(F) of Section 3 of the Act, such other particulars as the Board may specify shall be entered in the register.

(iii) In the case of joint holders of any share, their names and other particulars required by sub-regulation (i) shall be grouped under the name of the first of such joint holders.

(iv) Subject to the proviso of sub-section 2(D) of Sec.3 of the Act, a shareholder resident outside India may furnish to the Bank an address in India, and any such address shall be entered in the register and be deemed to be his registered address for the purposes of the Act and these regulations.

(v) No notice of any trust, express implied or constructive, shall be entered on the register or be receivable by the Bank.

6. Control over shares and registers - Subject to the provisions of the Act and these regulations, and such directions as the Board may issue from time to time, the register shall be kept and maintained at the Head Office of Canara Bank and be under the control of the Board and the decision of the Board as to whether or not a person is entitled to be registered as a shareholder in respect of any share shall be final.

7. Parties who may not be registered as shareholders -

(i) Except as otherwise provided by these regulations, all persons who are not competent to contract shall not be entitled to be registered as shareholder and the decision of the Board in this regard shall be conclusive and final.

(ii) In case of firms, shares may be registered in the names of the individual partners and no firm, as such, shall be entitled to be registered as a shareholder.

8. Maintenance of share register in computer system, etc. -

(i) The particulars required to be entered in the share register under sub-section 2(F) of section 3 of the Act, read with those mentioned in Regulation 5, shall be maintained under sub-section 2(G) of section 3 of the Act, in the form of data stored in magnetic/optical/ magneto-optical media by way of diskettes, floppies, cartridges or otherwise (hereinafter referred to as the "media") in computers to be maintained at the Head Office and the back up at such location as may be decided from time to time by the Chairman and Managing Director or any other official not below the rank of a General Manager designated in this behalf by the Chairman and Managing Director (hereinafter referred to as "the designated official").

(ii) Particulars required to be entered in the share register under Sec.3 (B) of the Act read with Section 11 of the Depositories Act, 1996 shall be maintained in the electronic form in the manner and in the form as prescribed therein.

9. Safeguards for protection of computer system.

(i) The access to the system set out in Regulation 8 (i) in which data is stored shall be restricted to such persons including Registrars to an issue and/or share transfer agents as may be authorised in this behalf by the Chairman and Managing Director or the designated official and the passwords if any, and the electronic security control systems shall be kept confidential under the custody of the said persons.

(ii) The access by the authorised persons shall be recorded in logs by the computer system and such logs shall be preserved with the officials/persons designated in this behalf by the Chairman and Managing Director or the designated official.

(iii) Copies of the back-ups shall be taken on removable media at intervals as may be specified from time to time by the Chairman and Managing Director or the designated official, incorporating the changes made in the register of shareholders. At least one of these copies shall be stored in a location other than the premises in which processing is being done. This copy shall be stored in a fireproof environment with locking arrangement and at the requisite temperature. The access to the back-ups in both the locations shall be restricted to persons authorised in this behalf by the Chairman and Managing Director or the designated official. The persons so authorised shall record the access in a manual register kept at the location.

(iv) It shall be the duty of the authorised persons to compare the data on the back-ups with that on the computer system by using appropriate software to ensure correctness of the back up. The result of this operation shall be recorded in the register maintained for the purpose.

(v) It shall be competent for the Chairman and Managing Director, by special or general order, to add or modify the instructions, stipulations in regard to the safeguards to be observed in maintaining the register of the shareholders in the computer system with due regard to the advancement of technology, and/or in the exigencies of situation or for any other relevant consideration.

10. Exercise of rights of joint holders - If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with Canara Bank except the transfer of shares, be deemed to be the sole holder thereof.

11. Inspection of register.

(i) The register shall, except when closed under Regulation 12, be open to inspection of any shareholder, free of charge, at the place where it is maintained during business hours subject to such reasonable restrictions as the Board may impose, but so that not less than two hours in each working day shall be allowed for inspection.

(ii) Any shareholder may make extracts of any entry in the register or computer prints free of charge or if he requires a copy or computer prints of the register or any part thereof, the same will be supplied to him on pre-payment at the rate of Rs.5/- for every 100 words or fractional part thereof required to be copied.

(iii) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (ii), any duly authorised officer of the Government shall have the right to make a copy of any entry in the register or be furnished a copy of the register or any part thereof.

12. Closing of the register.

The Bank may, after giving not less than seven days previous notice by advertisement in at least two newspapers circulating in India, close the register of shareholders for any period or periods not exceeding in the aggregate forty-five days in each year, but not exceeding thirty days at any one time as shall, in its opinion, be necessary.

13. Share Certificates -

(i) Each share certificate shall bear share certificate number, a distinctive number, the number of shares in respect of which it is issued and the name of the shareholder to whom it is issued and it shall be in such form as may be specified by the Board.

(ii) Every share certificate shall be issued under the common seal of the Bank in pursuance of a resolution of the Board and shall be signed by two directors and some other officer appointed by the Board for the purpose.

Provided that the signature of the directors may be printed, engraved, lithographed or impressed by such other mechanical process as the Board may direct.

(iii) A signature so printed, engraved, lithographed or otherwise impressed shall be as valid as a signature in the proper handwriting of the signatory himself.

(iv) No share certificate shall be valid unless and until it is so signed. Share Certificate so signed shall be valid and binding notwithstanding that, before the issue thereof, any person whose signature appears thereon may have ceased to be a person authorised to sign share certificates on behalf of the Bank.

(v) Should the share certificate so prepared contain the signature of an authorised person, as stated in sub- clause (ii) above, who however is dead at the time of issue of the certificate, the Bank may, by a method considered by it as most suitable, cancel the signature of such a person appearing on the certificate and have the signature of any other authorised person affixed to it. The share certificate so issued shall be valid.

14. Issue of share certificates.

(i) While issuing share certificates to any shareholder, it shall be competent for the Board to issue the certificates on the basis of one certificate for every hundred shares or multiples thereof registered in his name on any one occasion and one additional share certificate for the number of shares in excess thereof but which are less than hundred.

(ii) If the number of shares to be registered is less than hundred, one certificate shall be issued for all the shares.

(iii) In respect of any share or shares held jointly by several persons, the Bank shall not be bound to issue more than one certificate, and delivery of a certificate for a share to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all such holders.

15. Renewal of Share Certificates.

(i) If any share certificate is worn out or defaced, the Board or the Committee designated by it on a production of such certificate may order the same to be cancelled and have a new certificate issued in lieu thereof.

(ii) If any share certificate is alleged to be lost or destroyed, the Board or the Committee designated by it on such indemnity with or without surety as the Board or the Committee thinks fit, and on publication in two newspapers and on

payment to Canara Bank of its costs, charges and expenses, a duplicate certificate in lieu thereof may be given to the person entitled to such lost or destroyed certificate.

16. Consolidation and sub-division of shares:

On a written application made by the shareholder(s), the Board or the Committee designated by it may consolidate or sub-divide the shares submitted to it for consolidation/sub- division as the case may be and issue a new certificate(s) in lieu thereof on payment to the Bank of its costs, charges and expenses of and incidental to the matter.

17. Transfer of Shares:

(i) Every transfer of the shares of the Bank shall be by an instrument of transfer in Form "A" annexed hereto or in such other form as may be approved by the Bank from time to time and shall be duly stamped, dated and executed by or on behalf of the transferor and the transferee along with the relative share certificate.

(ii) The instrument of transfer along with the share certificate shall be submitted to the Bank at its Head Office and the transferor shall be deemed to remain the holder of such shares until the name of the transferee is entered in the share register in respect thereof.

(iii) Upon receipt by the Bank of an instrument of transfer along with a share certificate with a request to register the transfer, the Board or the Committee designated by the Board shall forward the said instrument of transfer along with share certificate to the Registrar and/or Share Transfer Agents for the purposes of verification that the technical requirements are complied with in their entirety. The Registrar and/or Share Transfer Agent shall return the instrument of transfer along with the share certificate if any to the transferee for resubmission unless:

(a) The instrument of transfer is presented to the Bank, duly stamped and properly executed for registration and is accompanied by the certificate of the shares to which it relates and such other evidence as the Board may require to show the title of the transferor to make such transfer.

(b) The Registrar is satisfied that the transferee is qualified to be registered as a shareholder of the Bank in respect of the shares covered by the instrument of transfer.

(iv) The Board or the Committee designated by the Board shall unless it declines to register the transfer under Regulation 19 hereinafter cause the transfer to be registered.

18. Power to suspend transfers: - The Board or the Committee designated by the Board shall not register any transfer during any period in which the register is closed.

19. Board's right to refuse registration of transfer of shares: -

(i) The Board may refuse transfer of any shares in the name of the transferee on any one or more of the following grounds, and on no other grounds: -

(a) The transfer of shares is in contravention of the provisions of the Act or regulations made thereunder or any other law or that any other requirement under the law relating to registration of such transfer has not been complied with;

(b) the transfer of shares, in the opinion of the Board, is prejudicial to the interests of the Bank or to public interest;

(c) the transfer of shares is prohibited by an order of court, tribunal or any other authority under any law for the time being in force;

(d) an individual or company resident outside India or any company incorporated under any law not in force in India or any branch of such company whether resident outside India or not will on the transfer being allowed hold or acquire as a result thereof, shares of the Bank and such investment in the aggregate will exceed the percentage being more than 20% (twenty) of the paid up capital or as may be specified by the Central Government by notification in the Official Gazette.

Provided however, that the powers of refusal mentioned in sub-regulation (i) (c) above may be exercised by the Committee designated by the Board in this behalf.

(ii) The Board shall, after the instrument of transfer of shares of the Bank is lodged with it for the purpose of registration of such transfer, form its opinion as to whether such registration ought or ought not to be refused on any of the grounds referred to in sub-regulation (i) -

(a) If it has formed the opinion that such registration ought not to be so refused, effect such registration; and

(b) If it has formed the opinion that such registration ought to be refused on any of the grounds mentioned in sub-regulation (i), intimate the transferor and the transferee by notice in writing within 60 days from the receipt of the transfer form.

20. Transmission of shares in the event of death, insolvency etc:

(i) The executors or administrators of a deceased shareholder in respect of a share, or the holder of letter of probate or letters of administration with or without the will annexed or a succession certificate issued under Part X of the Indian Succession Act, 1925, or the holder of any legal representation or a person in whose favour a valid instrument of transfer was executed by the deceased sole holder during the latter's lifetime shall be the only person who may be recognised by Canara Bank as having any title to such share.

(ii) In the case of shares registered in the name of two or more shareholders, the survivor or survivors and on the death of the last survivor, his executors or administrators or any person who is the holder of letter of probate or letters of

administration with or without will annexed or a succession certificate or any other legal representation in respect of such survivor's interest in the share or a person in whose favour a valid instrument of transfer of share was executed by such person and such last survivor during the latter's lifetime, shall be the only person who may be recognised by Canara Bank as having any title to such share.

(iii) Canara Bank shall not be found to recognise such executors or administrators unless they shall have obtained probate or letters of administration or succession certificate, as the case may be, from a Court of competent jurisdiction.

Provided, however, that in a case where the Board in its discretion thinks fit, it shall be lawful for the Board to dispense with the production of letters of probate or letters of administration or succession certificate or such other legal representation, upon such terms as to indemnity or otherwise as it may think fit.

(iv) Any such person becoming entitled to a share in consequence of death of a shareholder and any person becoming entitled to a share in consequence of the insolvency, bankruptcy or liquidation of a shareholder shall upon production of such evidence, as the Board may require, have the right -

(a) to be registered as a shareholder in respect of such share.

(b) to make such transfer of such share as the person from whom he derives title could have made.

21. Shareholder ceasing to be qualified for registration - It shall be the duty of any person registered as a shareholder, whether solely or jointly with another or others forthwith upon ceasing to be qualified to be so registered in respect of any share to give intimation thereof to the Board of Directors in this regard.

22. Calls on shares - The Board may, from time to time, make such calls as it thinks fit upon the shareholders in respect of all moneys remaining unpaid on the shares held by them, which are by the conditions of allotment not made payable at fixed times, and each shareholder shall pay the amount of every call so made on him to the person and at the time and place appointed by the Board. A call may be payable by instalments.

23. Calls to date from resolution - A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the Board authorising such call was passed and may be made payable by the shareholders on the register on such date or at the discretion of the Board on such subsequent date as may be fixed by the Board.

24. Notice of call - A notice of not less than thirty days of every call shall be given specifying the time of payment provided that before the time for payment of such call the Board may by notice in writing to the shareholders revoke the same.

25. Extension of time for payment of call - The Board may, from time to time and at its discretion, extend the time fixed for the payment of any call to all or

any of the shareholders having regard to distance of their residence or some other sufficient cause, but no shareholder shall be entitled to such extension as a matter of right.

26. Liabilities of joint holders - The joint holders of a share shall be jointly and severally liable to pay all calls in respect thereof.

27. Amount payable at fixed time or by instalments as calls - If by the terms of issue of any share or otherwise any amount is payable at any fixed time or by instalments at fixed times, every such amount or instalment shall be payable as if it were a call duly made by the Board and of which due notice had been given and all the provisions herein contained in respect of the calls shall relate to such amount or instalment accordingly.

28. When interest on call or instalment payable - If the sum payable in respect of any call or instalment is not paid on or before the day appointed for payment thereof, the holder for the time being or allottee of the share in respect of which a call shall have been made, or the instalment shall be due, shall pay interest on such sum at such rate as the Board may fix from time to time, from the day appointed for the payment thereof to the time of actual payment, but the Board may at its discretion waive payment of such interest wholly or in part.

29. Non-payment of calls by shareholder - No shareholder shall be entitled to receive any dividend or to exercise any right of a shareholder until he shall have paid all calls for the time being due and payable on every share held by him, whether singly or jointly with any person, together with interest and expenses, as may be levied or charged.

30. Notice on non-payment of call or instalment - If any shareholder fails to pay the whole or any part of any call or instalment or any money due in respect of any shares either by way of principal or interest on or before the day appointed for the payment of the same, Canara Bank may at any time thereafter during such time as the call or instalment or any part thereof or other moneys remain unpaid or a judgement or decree in respect thereof remains unsatisfied in whole or in part, serve a notice on such shareholder or on the person (if any) entitled to the share by transmission, requiring him to pay such call or instalment or such part thereof or other moneys as remain unpaid together with any interest that may have accrued and all expenses (legal or otherwise) that may have been paid or incurred by Canara Bank by reason of such non-payment.

31. Notice of forfeiture - The notice of forfeiture shall name a day not being less than fourteen days from the date of the notice and the place or places on and at which such call or instalment or such part or other monies and such interest and expenses as aforesaid are to be paid. The notice shall also state that in the event of non-payment on or before the time and at the place appointed, the share in respect of which the call was made or instalment is payable will be liable to be forfeited.

32. Shares to be forfeited on default - If the requirements of any such notice as aforesaid are not complied with, any of the shares in respect of which such notice has been given may at any time thereafter for non-payment of all calls or

instalments, interest and expenses or the money due in respect thereof, be forfeited by a resolution of the Board to that effect. Such forfeiture shall include all dividends declared in respect of the forfeited shares and not actually paid before the forfeiture.

33. Entry of forfeiture in the register - When any share has been forfeited under Regulation 32, an entry of the forfeiture with the date thereof shall be made in the register.

34. Forfeited share to be property of Canara Bank and may be sold- Any share so forfeited shall be deemed to be the property of Canara Bank and may be sold, reallotted or otherwise disposed of to any person upon such terms and in such manner as the Board may decide.

35. Power to annul forfeiture - The Board may, at any time, before any share so forfeited under Regulation 32 shall have been sold, reallotted or otherwise disposed of, annul the forfeiture thereof upon such conditions as it may think fit.

36. Shareholder liable to pay money owing at the time of forfeiture and interest - Any shareholder whose shares have been forfeited shall, notwithstanding the forfeiture, be liable to pay and shall forthwith pay to Canara Bank all calls, instalments, interest, expenses and other moneys owing upon or in respect of such shares at the time of forfeiture with interest thereon from the time of forfeiture until payment at such rate as may be specified by the Board and the Board may enforce the payment of the whole or a portion thereof.

37. Partial payment not to preclude forfeiture - Neither a judgement nor a decree in favour of Canara Bank for calls or other monies due in respect of any shares nor any payment or satisfaction thereunder nor the receipt by Canara Bank of a portion of any money which shall be due from any shareholder from time to time in respect of any shares either by way of principal or interest nor any indulgence granted by Canara Bank in respect of payment of any money shall preclude the forfeiture of such shares under these regulations.

38. Forfeiture of share extinguishes all claims against Bank - The forfeiture of a share shall involve extinction, at the time of the forfeiture, of all interest in and all claims and demands against the Bank, in respect of the share and all other rights incidental to the share, except only such of those rights as by these presents expressly waived.

39. Original shares null and void on sale, re-issue, re-allotment or disposal on being forfeited - Upon any sale, re-issue, re-allotment or other disposal under the provisions of the preceding regulations, the certificate(s) originally issued in respect of the relative shares shall (unless the same shall on demand by the Bank have been previously surrendered to it by the defaulting member) stand cancelled and become null and void and of no effect. The Board shall be entitled to issue a new certificate or certificates in respect of the said shares to the person or persons entitled thereto.

40. Application of forfeiture provisions - The provisions of these regulations as to the forfeiture shall apply in the case of non-payment of any sum which

by terms of issue of a share become payable at a fixed time, whether on account of nominal value of the shares or by way of premium as if the same had been payable by virtue of a call duly made.

41. Lien on shares -

(i) The Bank shall have a first and paramount lien -

(a) on every share (not being a fully-paid share), for all moneys (whether presently payable or not) called, or payable at a fixed time, in respect of that share;

(b) on all shares (not being fully paid shares) standing registered in the name of a single person, for all moneys presently payable by him or his estate to the Bank.

(c) upon all the shares registered in the name of each person (whether solely or jointly with others) and upon the proceeds of sale thereof for his debts, liabilities, and engagements, solely or jointly with any other person to or with the Bank, whether the period for the payment, fulfillment, or discharge thereof shall have actually arrived or not and no equitable interest in any share shall be recognised by the Bank over its lien.

Provided that the Board of Directors may at any time declare any share to be wholly or in part exempt from the provisions of this clause.

(ii) The Bank's lien, if any, on a share shall extend to all dividends payable thereon.

42. Enforcing lien by sale of shares -

(i) The Bank may sell, in such manner as the Board thinks fit, any shares on which the company has a lien :

(a) if a sum in respect of which the lien exists is presently payable, and

(b) after the expiration of fourteen days after a notice in writing stating and demanding payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable, has been given to the registered holder for the time being of the share or the person entitled thereto by reason of his death or insolvency.

(ii) To give effect to any such sale, the Board may authorise some officer to transfer the shares sold to the purchaser thereof.

43. Application of proceeds of sale of shares' - The net proceeds of any sale of shares under Regulation 42 after deduction of costs of such sale, shall be applied in or towards the satisfaction of the debt or liability in respect whereof the lien exists so far as the same is presently payable and the residue, if any, be paid to the shareholders or the person, if any, entitled by transmission to the shares so sold.

44. Certificate of forfeiture - A certificate in writing under the hands of any director, or any other officer of Canara Bank duly authorised in this behalf, that the call in respect of a share was made and that the forfeiture of the share was made by a resolution of the Board to that effect, shall be conclusive evidence of the fact stated therein as against all persons entitled to such shares.

45. Title of purchaser and allottee of forfeited share - Canara Bank may receive the consideration, if any, given for the share on any sale, reallotment or other disposition thereof and the person to whom such share is sold, realloted or disposed of may be registered as the holder of the share and shall not be bound to see to the application of the consideration, if any, nor shall his title to the share be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sale, reallotment or other disposal of the share and the remedy of any person aggrieved by the sale shall be in damages only and against Canara Bank exclusively.

46. Service of a notice or document to shareholders -

(i) The Bank may serve a notice or a document on any shareholder either personally, or by ordinary post at his registered address or if he has no registered address in India, at the address, if any, within India supplied by him to the Bank for giving of notice to him.

(ii) Where a document or a notice is sent by post, the service of such document or notice shall be deemed to be effected by properly addressing, prepaying and posting a letter containing the document or notice:

Provided that where a shareholder has intimated to the Bank in advance that documents should be sent to him under a certificate of posting or by registered post, with or without acknowledgment due and has deposited with the Bank a sum sufficient to defray the expenses of doing so, service of the document or notice shall not be deemed to be effected unless it is sent in the manner intimated by the shareholder. And such service shall be deemed to have been effected in the case of a notice of a meeting at the expiration of forty eight hours after the letter containing the same is posted, and in any other case, at the time at which the letter would have been delivered in the ordinary course of post.

(iii) A notice or a document advertised in a newspaper widely circulated in India shall be deemed to be duly served on the day on which the advertisement appears on every shareholder of the Bank who has no registered address in India and has not supplied to the Bank an address within India for giving of notice to him.

(iv) A notice or document may be served by the Bank on the joint holder of a share by effecting service on the joint-holder named first in the register in respect of the share and notice so given shall be sufficient notice to all the holders of the said shares.

(v) A notice or a document may be served by the Bank on the persons entitled to a share upon death or in consequence of the insolvency of a shareholder by sending it through post in a prepaid letter addressed to them by name, or by the title of representatives of the deceased, or assignees of the insolvent, or by any like description, at the address, if any, in India supplied for the purpose by the persons, claiming to be so entitled, or until such an address has been so supplied, by serving the document in any manner in which it might have been served if the death or insolvency had not occurred.

(vi) The signature to any notice to be given by the Canara Bank may be written or printed.

CHAPTER III

SECURITIES OF THE BANK HELD IN A DEPOSITORY

47. Agreement between a depository and the Bank - The Bank may enter into an agreement with one or more depository to avail of its services in respect of securities issued by the Bank.

48. Agreement between a participant and the depository

(i) Any participant may enter into an agreement with the depository to act as its agent. The depository with whom the agreement will be entered into will be one whose services the Bank has agreed to avail of under Regulation 47.

(ii) Any shareholder of the Bank may through the participant enter into an agreement with the depository in the form specified by such depository for availing its services in respect of securities issued by the Bank.

49. Surrender of certificate of security

(i) Any shareholder or holder of any security of the Bank who has entered into an agreement under Regulation 48 above, shall surrender the certificate of security in respect of which he seeks to avail the service of a depository to the Bank.

(ii) The Bank on receipt of the certificate of security under sub-regulation (i) above, shall cancel the certificate of security and substitute in its record the name of the depository as a registered owner in respect of that security and inform the depository accordingly.

(iii) A depository shall, on receipt of information under sub-regulation (ii) above, enter the name of the person referred to in sub-regulation (i) above, in its records as the beneficial owner.

50. Registration of transfer of securities with depository -Every depository shall on receipt of intimation to effect transfer from the Bank register the transfer of securities in the name of the transferee.

51. Option to receive security certificate or to hold the security held with a depository:

(i) Every person subscribing to securities offered by the Bank, shall have option either to receive security certificate or hold the security with the depository.

(ii) When a person opts to hold security with the depository the Bank shall intimate such depository details of allotment of securities and on receipt of such information, the depository shall enter in its register, name of the allottee as the beneficial owner of that security.

52. Securities in depository to be in a fungible form - All securities held by the depository shall be dematerialised and shall be in a fungible form.

53. Rights of beneficial owner - The beneficial owner shall be entitled to all the rights and benefits and be subjected to all the liabilities in respect of his securities held by the depository.

54. Register of beneficial owner

(i) Every depository shall maintain a register and an index of beneficial owners in such form as may be prescribed under the Depositories Act, 1996 or by SEBI in respect of securities of the Bank held by the depository.

(ii) The depository shall furnish the Bank at such intervals as may be prescribed by the Bank, an updated copy of the register and index of the beneficial owners maintained by it.

55. Option to opt out in respect of any securities

(i) If the beneficial owner seeks to opt out from the depository in respect of any security, he shall inform the depository accordingly.

(ii) The depository shall on receipt of such intimation under sub-regulation (i) above make appropriate entries in its records and shall inform the Bank.

(iii) The Bank shall within 30 (thirty) days of the receipt of intimation from the depository and on fulfillment of such conditions and on payment of such fees as may be specified in the SEBI Depositories and Participants Regulations 1996 and/or the Depositories Act, 1996, issue a certificate of security to the beneficial owner or the transferee as the case may be.

CHAPTER IV

MEETINGS OF SHAREHOLDERS

56. Notice convening an Annual General Meeting

(i) A notice convening an Annual General Meeting of the shareholders signed by the Chairman and Managing Director or Executive Director or any authorised official of Canara Bank shall be published at least twenty-one clear days before the meeting in not less than two daily newspapers having wide circulation in India.

(ii) Every such notice shall state the time, date and place of such meeting, and also the business that shall be transacted at that meeting.

(iii) The time and date of such meeting shall be as specified by the Board. The meeting shall be at the place of Head Office of Canara Bank.

57. Extraordinary General Meeting -

(i) The Chairman & Managing Director or in his absence the Executive Director of the Bank or in his absence any one of the directors of the Bank may convene an Extraordinary General Meeting of shareholders if so directed by the Board, or on a requisition for such a meeting having been received either from the Central Government or from other shareholders holding shares, carrying, in the aggregate, not less than ten percent of the total voting rights of all the shareholders.

(ii) The requisition referred in sub-regulation (i) shall state the purpose for which Extraordinary General Meeting is required to be convened, but may consist of several documents in like form each signed by one or more of the requisitionists.

(iii) Where two or more persons hold any shares jointly, the requisition or a notice calling a meeting, signed by one or more of them shall, for the purpose of this regulation have the same force and effect as if it had been signed by all of them.

(iv) The time, date and place of the Extraordinary General Meeting shall be decided by the Board :

Provided that Extraordinary General Meeting convened on the requisition by the Central Government or other shareholder shall be convened not later than forty-five days of the receipt of the requisition.

(v) If the Chairman and the Managing Director or in his absence the Executive Director, as the case may be, does not convene a meeting as required by sub-regulation (i), within the period stipulated in the proviso to sub-regulation (iv), the meeting may be called by the requisitionists themselves within three months from the date of requisition:

Provided that nothing in this sub-regulation shall be deemed to prevent a meeting duly convened before the expiry of the period of three months aforesaid, from being adjourned to some day after the expiry of that period.

(vi) A meeting called under sub-regulation (v) by the requisitionists shall be called in the same manner as nearly as possible as that in which the other general meetings are called by the Board.

58. Quorum of general meeting -

(i) No business shall be transacted at any meeting of the shareholders unless a quorum of at least five shareholders entitled to vote at such meeting in person are present at the commencement of such business.

(ii) If within half an hour after the time appointed for the holding of a meeting, a quorum is not present, in the case of a meeting called by a requisition of shareholders other than the Central Government, the meeting shall stand dissolved.

(iii) In any other case if within half an hour after the time appointed for the holding of a meeting, a quorum is not present, the meeting shall stand adjourned to the same day in the next week, at the same time and place or to such other day and such other time and place as the Chairman may determine. If at the adjourned meeting a quorum is not present within half an hour from the time appointed for holding the meeting, the shareholders who are present in person or by proxy or by duly authorised representative at such adjourned meeting shall be quorum and may transact the business for which the meeting was called:

Provided that no Annual General Meeting shall be adjourned to a date later than the date within which such Annual General Meeting shall be held in terms of Section 10A (1) of the Act and if adjournment of the meeting to the same day in the following week would have this effect, the Annual General Meeting shall not be adjourned but the business of the meeting shall be commenced within one hour from the time appointed for the meeting if the quorum is present or immediately after the expiry of one hour from that time and those shareholders who are present in person or by proxy or by duly authorised representative at such time shall form the quorum.

59. Chairman at general meeting –

(i) The Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director or in his absence such one of the directors as may be generally or in relation to particular meeting be authorised by the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director in this behalf, shall be the Chairman of the Meeting and if the Chairman and the Managing Director or the Executive Director or any other director authorised in this behalf is not present, the meeting may elect any other director present to be the Chairman of the Meeting.

(ii) The Chairman of the General Meeting shall regulate the procedure at General Meetings and in particular shall have power to decide the order in which the shareholders may address the meetings to fix a time limit for speeches, to apply the closure, when in his opinion, any matter has been sufficiently discussed and to adjourn the meeting.

60. Persons entitled to attend general meetings -

(i) All directors and all shareholders of Canara Bank shall, subject to the provisions of sub- regulation (ii), be entitled to attend a general meeting.

(ii) A shareholder (not being the Central Government) or a director, attending a General Meeting shall for the purpose of identification and to determine his voting rights, be required to sign and deliver to the Bank a form to be specified by the Chairman containing particulars relating to -

(a) his full name and registered address;

(b) the distinctive numbers of his shares;

(c) whether he is entitled to vote and the number of votes to which he is entitled in person or by proxy or as a duly authorised representative.

61. Voting at General Meetings -

(i) At any general meeting, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded be decided on a show of hands.

(ii) Save as otherwise provided in the Act every matter submitted to a General Meeting shall be decided by majority of votes.

(iii) Unless a poll is demanded under sub-regulation (i), a declaration by the Chairman of the meeting that a resolution on show of hands has or has not been carried either unanimously or by a particular majority and an entry to that effect in the books containing the minutes of the proceedings, shall be

conclusive evidence of the fact, without proof of the number of proportion of the votes cast in favour of, or against, such resolution.

(iv) Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the Chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any share holder or shareholders present in person or by proxy and holding shares in Canara Bank which confer a power to vote on the resolution not being less than one fifth of the total voting power in respect of the resolution.

(v) The demand for a poll may be withdrawn at any time by the person or persons who made the demand.

(vi) A poll demanded on a question of adjournment or election of Chairman of the meeting shall be taken forthwith.

(vii) A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty-eight hours from the time when the demand was made, as the Chairman of the meeting may direct.

(viii) The decision of the Chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in the case of poll, as to the number of votes any person is competent to exercise shall be final.

62. Minutes of general meetings

(i) Canara Bank shall cause the minutes of all proceedings to be maintained in the books kept for the purpose.

(ii) Any such minutes, if purporting to be signed by the Chairman of the meeting at which the proceedings were held, or by the Chairman of the next succeeding meeting, shall be evidence of the proceedings.

(iii) Until the contrary is proved, every general meeting in respect of the proceedings hereof minutes have been so made shall be deemed to have been duly called and held, and all proceedings held thereat to have been duly held.

CHAPTER V

ELECTION OF DIRECTORS

63. Directors to be elected at general meeting

(i) A director under clause (i) of sub-section (3) of section 9 of the Act shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in the general meeting of Canara Bank.

(ii) Where an election of a director is to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting.

Every such notice shall specify the number of directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

64. List of shareholders

(i) For the purpose of election of a director under sub- regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders of the register by whom the direc or is to be elected.

(ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

65. Nomination of candidates for election

(i) No nomination of a candidate for election as a director shall be valid unless,

(a) he is a shareholder holding 100 shares in Canara Bank;

(b) he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a director under the Act or under the Scheme;

(c) he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;

(d) the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the directors of the said company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be despatched to the Head Office of Canara Bank and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such company;

(e) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-registrar of Assurances or other Gazetted officer or an officer of the Reserve Bank of India or any nationalised Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a director.

(ii) No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head Office of

Canara Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for meeting.

66. Scrutiny of nominations

(i) Nominations shall be scrutinised on the first working day following the date fixed for receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason therefor. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election, it shall stand cancelled.

(ii) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.

(iii) A director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is, or is deemed to be elected.

67. Election disputes

(i) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of Canara Bank and shall in the said intimation give full particulars of the ground upon which he doubts or disputes the validity of the election.

(ii) On receipt of an intimation under sub-regulation (i), the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of Canara Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a Committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

(iii) The Committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared result of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall, within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the Committee.

(iv) An order and direction of such Committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

CHAPTER VI

VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS

68. Determination of voting rights -

(i) Subject to the provisions contained in section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

(ii) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorised representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub- regulation (i).

Explanation - For this chapter, "company" means any body corporate.

(iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

69. Voting by duly authorised representative -

(i) A shareholder, being the Central Government or a company, may by a resolution, as the case may be, authorise any of its officials or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorised (referred to as a "duly authorised representative" in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or company which he represents, as if he were an individual shareholder of Canara Bank. The authorisation so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as the duly authorised representative of the Central Government/company.

(ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of Canara Bank as the duly authorised representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorised representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Canara Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

70. Proxies

(i) No instrument of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his attorney duly authorised in writing, or in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his attorney duly authorised in writing or in the

case of the body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing:

Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his name, if his mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government gazetted officer or an Officer of the Canara Bank.

(ii) No proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof deposited at the Head Office of Canara Bank not less than four days before the date fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with Canara Bank.

(iii) No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form 'B'.

(iv) An instrument of proxy deposited with Canara Bank shall be irrevocable and final.

(v) In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.

(vi) The grantor of an instrument of proxy under this regulation shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

(vii) No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Canara Bank.

*****

FORM 'A'

SHARE TRANSFER FORM

(See sub-regulation (i) of Regulation 17)

FOR THE CONSIDERATION stated below the "Transferor(s)" named do hereby transfer to the "Transferee(s)" named, the shares specified below subject to the conditions on which the said shares are now held by the Transferor(s) and the Transferee(s) do hereby agree to accept and hold the said shares subject to the condition aforesaid.

Full name of Company

Name of the recognised Stock Exchange, where dealt in, if any,

Description of Equity shares			
No in Figures	Number in words	Consideration (in figures)	Consideration (in words)
Distinctive Numbers	From To		

Corresponding Certificate Nos.

Transferor(s) [Seller(s)] particulars	Regd Folio No.	Signature(s)
Name (s) in full		
1.		.....
2.		.....
3.		.....
4.		.....

ATTESTATION

I hereby attest the signature of the Transferor (s) herein mentioned

Signature

Name

Address / seal

Signature of witness

....

Name and address of witness
....
....
....
........................PIN..........

'ransferee(s) [Buyer(s)] Particulars

Iame (s) in full 1..................
2..................
3..................

Signature (s)
1 ....
2 ....
3 ....

Occupation	Address	Father's /Husband's Name
1.		
2.		
3.		

Transferee(s) existing folio if any, in same order of Names ....

Value of Stamps affixed Rs. ....

Dated this ...... day of .... two thousand ....
Place ....

For office u se only

Checked by ....

Signature tallied by ....

Entered in Register of Transfer No. ....

Folio	Company Code
Specimen Signature(s) of Transfer-ee (s) 1............ 2............ 3............	

Instructions for attestation ::

Attestation, where required (thumb impressions, marks, signature difference etc.) should be done by a Magistrate, Notary Public or Special Executive Magistrate or a similar authority holding a Public Office and authorised to use the seal of his office or a member of a recognised Stock Exchange through whom the shares are introduced or a manager of the transferor's Bank.

NOTE :: Names must be rubber stamped preferably in a straight line. Chronological order should be maintained. Broker's clearing number should be stated when delivery is given by a Clearing Member Bank.

Name of delivering Broker or Clearing Member
.....

Date .....

POWER OF ATTORNEY / PROBATE / DEATH CERTIFICATE /LETTERS OF ADMINISTRATION

Registered with the Company
No..... Date. .....

.....
Signature (not initials) of broker, bank, company or Stock Exchange or clearing house.
Lodged by:.....
Full address:.....
.....
.....
SHARE CERTIFICATE TO BE RETURNED TO : .....
(Fill in the name and address to which the certificates are required to be returned)

Name and Address:.....
.....
.....

Share Transfer Stamps.

FORM 'B'

FORM OF PROXY

(See sub-regulation (iii) of Regulation 70)

Folio No. _____
(to be filled in by the shareholder)

I / We, resident of ..... in the district of ..... in the State of .....being a shareholder / shareholders of the Canara Bank hereby appoint Shri ....., resident of ....., in the district of....., in the State of ..... or failing him, Shri ....., resident of ....., in the district of ..... in the State of ..... as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the meeting of the shareholders of the Canara Bank to be held on the ..... day of ..... 20... and at any adjournment thereof.

Signed this ..... day of ..... 20...

Name. .....
Address .....
.....
.....
.....

Affix revenue stamp

HEAD OFFICE :: BANGALORE

CORRIGENDUM TO THE CANARA BANK OFFICERS' SERVICE REGULATIONS 1979 NOTIFIED IN THE OFFICIAL GAZETTE OF INDIA, DATED. NOVEMBER 13,1999:

Regulation 23(iii)(B) - for the letters and figures "Rs. 350/=" occurring at both the places in first and second proviso, the letters and figures "Rs.50/=" had been respectively substituted;

- may be read as

- for the letters and figures "Rs.350/=" occurring at both the places in first and second proviso, the letters and figures "Rs.500/=" had been respectively substituted;

B.V. KAMATH
GENERAL MANAGER

****

DATE: 16.01.2001

No.IRS:124(B):7441:NAK: In exercise of powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) and in supercession of the Canara Bank Officer Employees' (Acceptance Of Jobs in Private Sector Concerns After Retirement) Regulations, 1979 and as amended vide Notification No.IRS 1 1615 DRD dated 18.07.1995, the Board of Directors of the Canara Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous approval of the Central Government hereby makes the following Regulations, namely –

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT:

1. These Regulations may be called **Canara Bank Officer Employees' (Acceptance of Jobs in Private Sector Concerns after Retirement) Regulations, 2001.**
2. These Regulations shall come into force from the date of their publication the official Gazette.

2. APPLICATION:

These Regulations shall apply to all Officer Employees of the bank except:-

(i) Chairman of the Bank;
(ii) Managing Director of the Bank;
(iii) Whole time Director, if any;
(iv) Officer Employees covered under the Bank's (Employees) Pension Regulations, 1995;
(v) Those who are in casual employment or paid from contingency;
(vi) The Award Staff;
(vii) Officers on contract.

3. DEFINITION:-

In these Regulations unless the context otherwise requires:-

(a) 'Bank' means **Canara Bank**;
(b) 'Board' means the Board of Directors of the **Canara Bank**;
(c) 'Competent Authority' means the authority empowered by the Board for the purpose of these regulations;
(d) 'Employment in private concerns' means:-

(i) an employment in any capacity including that of an agent, under a company (including a banking company), co-operative society, firm or individual engaged in trading, commercial, industrial, financial or professional business and includes also a directorship of such company (including a banking company) and partnership of such firm, but does not include employment under a body corporate, wholly or substantially owned or controlled by the Central Government or a State Government;

(ii) setting up practice, either independently or as a partner of a firm, as adviser or consultant in matters in respect which the person:-

(a) has no professional qualifications and the matters in respect of which the practice is to be set up or is carried on are relatable to his official knowledge or experience, or
(b) has professional qualifications but the matters in respect of which such practice is to be set up are such as are likely to give his clients an unfair advantage by reason of his previous official position, or
(c) has to undertake work involving liaison or contact with the offices or officers of the bank.

EXPLANATION:- For the purpose of this clause, the expression "employment under a co-operative society" includes holding of any office, whether the elective or otherwise, such as that of President, Chairman, Secretary, Treasurer and the like, by whatever name called in such society.

(e) 'Officer employee' means a person who has held a supervisory, administrative or managerial post in the bank or any other person who was appointed and/or has functioned as an officer of the bank at the time of his retirement by whatever designation called.

4. ACCEPTANCE OF EMPLOYMENT AFTER RETIREMENT:-

(1) If a person who immediately before his retirement was holding the post of an officer employee and wishes to accept any job in private concern before the expiry of two years from the date of his retirement, he shall obtain the previous sanction of the bank to such acceptance.

(2) Subject to the provision of sub regulation (3), the bank may by order in writing, on the application by a person, grant, subject to such conditions, if any, as it may deem necessary, permission, or refuse, for reasons to be recorded in the order, permission to such person to take up the job in private concern specified in the application.

(3) In granting or refusing permission under sub regulation (2) to a person for taking up any commercial employment the bank shall have regard the following factors, namely:-

(a) the nature of the employment proposed to be taken up and the antecedents of the employer;
(b) whether his duties in the employment which he proposes to take up might be such as to bring him into conflict with the bank;
(c) whether the officer employee while in service had any such dealing with the employer under whom he proposes to take employment as it might afford a reasonable basis for the suspicion that such person had shown favours to such employer;
(d) whether the duties of the commercial employment proposed involve liaison or contact work with bank;
(e) whether his commercial duties will be such that his previous official position or knowledge or experience under bank could be used to give the proposed employer an unfair advantage;
(f) the emoluments offered by the proposed employer; and
(g) any other relevant factor.

(4) Where within a period of sixty days of the date of receipt of an application under sub-regulation (2), the bank does not refuse to grant the permission applied for or does not communicate the refusal to the applicant, the bank shall be deemed to have granted the permission applied for;

Provided that in any case where defective or insufficient information is furnished by the applicant and it becomes necessary for the bank to seek further clarifications or information from him, the period of sixty days shall be counted from the date on which the defects have been removed or complete information has been furnished by the applicant.

(5) Where the bank grants the permission applied for subject to any conditions or refuses such permission, the applicant may, within thirty days of the receipt of the order of the bank to that effect, make a representation against any such condition or refusal and the bank may make such orders thereon as it deems fit;

Provided that no order other than an order canceling such condition or granting such permission without any conditions shall be made under this sub-regulation without giving the person making the representation an opportunity to show cause against the order proposed to be made.

(6) Every order passed by the Bank under this Regulation shall be communicated to the person concerned.

(N. S. SRINATH)
ASSISTANT GENERAL MANAGER

Ministry of Defence

Cantonment Board, Dehra Dun Cantonment

Notification

Dehra Dun Cantt, the 22 January , 2001

S.R.O. NO. IX/60/Toll Tax/ - WHEREAS a public notice to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Defence number SRO/IX/60/Toll Tax/142 dated, the 20th May, 1989 was published on the 26th May, 2000 by affixing a copy thereof in a conspicuous part of the Office of the Cantonment Board, Dehra Dun, as required by section 61 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of thirty days from the date of publication of the said notice;

AND WHEREAS, no objections or suggestions were received from the public by the Cantonment Board, Dehra Dun;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 60 of the Cantonments Act, 1924, the Cantonment Board, Dehra Dun, with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following amendment in the said notification, namely;

In the said notification, for the existing Schedule and the entries relating thereto, the following Schedule and entries shall be substituted, namely :-

"SCHEDULE

SL.NO.	NAME OF ARTICLES	RATES OF TOLL TAX
1	2	3
1.	Laden Truck (upto 3 metric ton)	Rs 10.00
2.	Laden Truck (upto 6 metric ton)	Rs 20.00
3.	Laden Truck (above 6 upto 10 metric ton)	Rs 30.00
4.	Laden Tempo (3 or 4 Wheeler)	Rs 10.00
5.	Laden Station Wagon	Rs 10.00
6.	Motor Bus (Laden with goods or Passengers)	Rs 20.00
7.	Tractor Laden with goods	Rs 10.00
8.	Tractor Trailor Laden with goods or Passengers	Rs 20.00
9.	Car/Jeep Laden with goods	Rs 10.00
10.	Scooter Rickshow Laden with goods	Rs 05.00
11.	Jeep with Trailor Laden with goods	Rs 15.00
12.	Punjabi Cart Laden with goods	Rs 10.00
13.	Jhota Thela with one Jhota Laden with goods	Rs 10.00
14.	Jhota Thela with two Jhota Laden with goods	Rs 15.00
15.	Laden Bullock Cart with one Bullock	Rs 05.00
16.	Laden Bullock Cart with two Bullocks	Rs 10.00
17.	Laden Tonga/Bughi	Rs 05.00
18.	Laden hand Cart driven by man	Rs 05.00
19.	Tricycle and Rehri (Laden)	Rs 05.00
20.	Horse, Pony (Animal Load)	Rs 05.00
21.	Motor Cycle,Scooter,Laden with goods	Rs 05.00
22.	Mini Bus (upto 16 seater) Laden with Passengers or goods	Rs 10.00
23.	Mini Bus upto 26 seater) Laden with Passengers or goods	Rs 15.00
24.	Bikram Laden with goods	Rs 05.00
25.	Tractor/Commander/Tata Mobile Laden with goods or Passengers	Rs 10.00

NOTE : Trucks having a capacity over 10 metric tons shall be charged Rs 3/- extra for every additional metric tonnage namely, Rs 30/- plus additional charges".

CANTONMENT EXECUTIVE OFFICER
DEHRA DUN 22/1/2001

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NEW DELHI, DATED THE 16TH FEBRUARY,2001

CORRIGENDUM

No. MCI-18(1)/2000-Med. - Corrigendum to the Postgraduate Medical Education Regulations,2000 (published in the Gazette of India Part III Section 4 dated the 7th October,2000).

Page 4421 Lines 1 to 9 For the existing entries including the long title, read the following:-

"MEDICAL COUNCIL OF INDIA
POSTGRADUATE MEDICAL EDUCATION REGULATIONS,2000

NEW DELHI DATED THE 22ND AUGUST,2000.

No.MCI-18(1)/2000-Med./ In exercise of the powers conferred by section 33, read with section 20 of the Indian Medical Council Act,1956 (102 of 1956), the Medical Council of India, with the previous sanction of the Central Govt. hereby makes the following regulations, namely:-"

(Dr.M.Sachdeva)
Secretary.

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

NEW DELHI dated the 12-2-2001

No. N-15/13/1/28/95-P&D : In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance(General)Regulations,1950, the Director General has fixed the 1st February, 2001 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance(Medical Benefit) Rules, 1955, shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely

"All the areas falling in the Revenue Villages of Shameerpet, Sampanbole, Lalgadi, Aliabad, Jaggamguda, Turkapally, Laxmapur and Majidpur in Shameerpet Mandal and Murharapally in Medchal Mandal of Rangareddy District."

(R.C.SHARMA)
DY.DIRECTOR(F&D)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2000
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2000